पंचायत
पर विशेष

संगिनी

वर्ष : 2 अंक : 1

जुलाई–सितम्बर 2004

सीमित वितरण हेतु

असली सत्ता ग्रामसभा के हाथ में

संगिनी जुलाई–सितंबर वर्ष–2, अंक–3

अनुक्रमणिका

अपनी बात	1
अब असली सत्ता ग्राम सभा के हाथ में	2
मताधिकार आपका अपना अधिकार	4
महिला सशक्तिकरण की मिसाल हकरी बाई	6
ऐसे होते हैं पंचायतों के चुनाव	8
सशक्तिकरण की राह पर चलीं सरजू बाई	10
तीसरी संतान की आड़ में टूटता महिला का मान	12
पुरूषों के हाथ की कठपुतली न बनें	15
पुरूष एकाधिकार को तोड़तीं महिलाएं	17
विकास से वंचित महिलाएं	19
महिला नेत्तृत्व की मिसाल उकमियाबाई	21
कैसे हो साकार आदर्श गांव, अपनी सरकार	23

सम्पादक मण्डल

प्रार्थना मिश्रा

अनुपा

सौमित्र राय

विशाल दुबे

टाइपिंग / कम्पोजिंग

ज्योति आचार्य

इलस्ट्रेशन साभार

एक्शन एड

वित्तीय सहयोग
एक्शन एड

संगिनी

ई–6/127, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

फोन : 0755–5276158

फेक्स : 0755 – 2466920

ई मेल : sangini_center@yahoo.com

अपनी बात

सत्ता का विकेन्द्रीकरण समाज में एक वर्ग की प्रभुता को कम करने का एक बड़ा अवसर है। भारतीय समाज में पुरुषों का वर्चस्व, महिलाओं को दोयम पदों पर रख कर ही बन पाया है। पर संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधन से स्थापित स्तर पर सत्ता के केन्द्र पंचायतीराज संस्थाओं व नगरीय निकाय की इकाईयों के रूप में बनें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस संशोधन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इन स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों में कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। इस एक व्यवस्था ने महिलाओं के नेतृत्व की भूमिका में आने का रास्ता खोल दिया।

गत दस वर्षो से पंचायती राज व नगरीय निकायों के गठन में महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। इस व्यवस्था से बड़ी संस्था में महिलाएं लोगों के प्रतिनिधि के रूप चुनी जाकर उन्हें नेतृत्व दे रही हैं। इस पूरे परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका पर कई तरह के सवाल भी हैं। किन्तु एक बात निर्विवाद रूप से मानी गई है कि कम से कम इस व्यवस्था ने महिलाओं को घर की चारदिवारी से बाहर निकल कर समाज की राजनीतिक प्रक्रिया में अपने वजूद को स्थापित करने का अवसर दिया है।

आने वाले महीनों में स्थानीय निकायों के चुनाव मध्यप्रदेश में होने वाले हैं। हमें इस अवसर को इसी रूप में देखना है कि कैसे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व की भूमिका में देखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वे इन चुनावों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी रबर स्टाम्प की छवि को तोड़ कर खुद पहल कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि स्वैच्छिक संस्थाएं, जमकर महिला अधिकार के मुद्दे पर अपने क्षेत्र की सक्रिय महिलाओं को इन चुनावों में खड़े होने में मदद करें। स्थानीय स्तर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से अपनी नेतृत्व क्षमता साबित कर चुकी महिलाओं के लिए भी एक मौका है, जब वे अपने समूह से उपर उठकर ग्राम पंचायत व उसकी बड़ी इकाईयों में अपनी भूमिका बढ़ाएं।

विगत 10 वर्षो मे महिलाओं ने स्थानीय निकायों के विभिन्न पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके अनेकों सकारात्मक उदाहरण हैं, जिन्हें बहुधा अनदेखा कर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए गए । संगिनी के इस अंक में पंचायतों में महिलाओं के विशिष्ट योगदान को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, ताकि इस चुनावी समय में महिलाएं अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निभा सकें। आशा है यह आगे आपके लिए उपयोगी होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा।

प्रार्थना मिश्रा

अब असली सत्ता ग्राम सभा के हाथ में

✍ अनुपा

" पिछले वर्षों के अनुभव बताते हैं कि ग्राम कोष से पैसा निकालने के मामले में गड़बड़ी होती थी। इसके अलावा योजनाओं के लिए पैसा आवंटित होने में भी काफी समय लगता था, क्योंकि आवंटन की प्रक्रिया लंबी थी। इन परेशानियों को देखते हुए अब पंचायती राज की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि इसे और असरदार बनाया जा सके। "

गांवों में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य प्रमुख रूप से यही था कि विकास की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया जाये और गांव के गरीब और कमजोर वर्गों का हक दिलाया जा सके। इसके लिए गांव के विकास और लोगों की जिन्दगी को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी गांव के ही लोगों को देनी जरूरी थी, क्योंकि विकास योजना के रूप में जो पैसा सरकार की तरफ से आता था, वह बीच में ही बिचौलियों द्वारा रोक लिया जाता था। इस कारण गरीबों की भलाई के लिए आवंटित धन उन तक पहुंच ही नहीं पाता था। परिणामस्वरूप अकाल, बाढ़, जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों की मार झेलने वाला गरीब किसान, खेतिहर मजदूर वर्ग और भी गरीब होता जा रहा था। ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था ने गांव के विकास की कमान खुद गांव वालों के ही हाथ सौंप दी।

इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाई गई, जिसमें शामिल पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के प्रतिनिधि गांव के ही लोगों में से चुन कर आने लगे। गांव का अपना एक कोष होता है, जिसमें सरकारी योजनाओं का विकास समिति, पंचायत प्रतिनिधियों की सहमति से कुएं, हैन्डपंप, सड़क, नाली बनवाने,

स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, विकास के काम में पैसा निकाला जाता है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वर्षों के अनुभव बताते हैं कि ग्राम कोष से पैसा निकालने के मामले में गड़बड़ी होती थी। इसके अलावा योजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद उनके क्रियान्वयन के लिए पैसा आवंटित होने में भी काफी समय लगता था, क्योंकि आवंटन की प्रक्रिया लंबी थी। इन व्यवहारिक परेशानियों को देखते हुए अब पंचायती राज की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि इसे और असरदार बनाया जा सके। इसके तहत गांव की ग्राम सभा अब सबसे ज्यादा अधिकार संपन्न होगी। ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं का समूह होता है और इसमें लिए जाने वाले निर्णय में भी सभी गांव वालों की सहमति

ग्राम सभा की मजबूती सरकार का लक्ष्य : पंचायत मंत्री

पंचायत मंत्री का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था में किए गए बदलाव के पीछे सरकार का इरादा पंच, सरपंचों के अधिकार कम करना नहीं, बल्कि ग्राम सभा को ही और ज्यादा मजबूत बनाना है, क्योंकि ग्राम सभा ही गांव के मतदाताओं की असली आवाज होती है। ग्रामसमिति का गठन भी इसलिए किया गया है, ताकि गांव में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। पंचायत मंत्री ने यह भी कहा कि गांव में उपलब्ध संसाधनों की मदद से ही गांव गांव का विकास किया जाए और संसाधनों के मामले में हर गांव आत्मनिर्भर बन बन सके, यही सरकार चाहती है।

ग्राम विकास समिति अब ग्राम सभा के अधीन एक एजेन्सी का काम करेगी, जिससे गांव के विकास की योजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के तरीकों पर सारे गांव की सहमति हो सके। इसके अलावा समिति के फैसलों पर भी ग्रामीण मतदाताओं की राय अब शामिल होगी। ग्राम विकास समिति अब ग्राम सभा के मार्गदर्शन में विकास के काम कराएगी।

शामिल होती है, क्योंकि ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या (मतदाता संख्या) की एक तिहाई उपस्थिति जरूरी है। इस तरह ग्राम सभा के निर्णय को पूरे गांव की आवाज माना जा सकता है।

ग्राम विकास समिति अब ग्राम सभा के अधीन एक एजेंसी का काम करेगी, जिससे गांव के विकास की योजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के तरीकों पर सारे गांव की सहमति हो सके। इसके अलावा समिति के फैसलों पर भी ग्रामीण मतदाताओं की राय अब शामिल होगी। ग्राम विकास समिति अब ग्रामसभा के मार्गदर्शन में विकास के काम कराएगी और साथ ही ग्राम कोष का संचालन भी करेगी।

पंचायत कोषाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है। अब ग्राम कोष का पैसा बैंक से निकालने के लिए ग्राम विकास समिति के मुखिया और पंचायत सचिव के दस्तखत जरूरी होंगे। पंचायत सचिव इसकी लिखा–पढ़ी करेगा कि किस काम के लिए कितना पैसा निकला गया और कहां खर्च किया गया। ग्राम विकास समिति अपने गांव में पांच लाख तक के निर्माण कार्य करवा सकती है और इस समिति में अध्यक्ष के साथ कम से कम दो और सदस्य शामिल रहेंगे।

विकास कार्यों के लिए सरकार से आया पैसा पंचायत को हर हाल में सात दिन के अंदर ग्राम कोष में जमा करवाना होगा।

ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल ढाई साल का होगा, अर्थात पंचायत के पांच साल के कार्यकाल में दो बार अध्यक्ष चुना जाएगा। वैसे ग्राम सभा चाहे तो ढाई साल बाद पुराने अध्यक्ष को ही दुबारा चुन सकती है। ग्राम विकास समिति में पंच –ज समिति के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।

गांव में चुने गए पंचों में से पांच पंचों को एक साल तक के लिए ग्राम विकास समिति का सदस्य बनाया जाएगा। जिन गांवों में पांच पंच न हो वहां कोई भी पंच बारी–बारी से सदस्य बनेंगे।

जिस वार्ड में निर्माण होगा, वहां के पंच को विकास समिति का सदस्य तब तक बनाया जाएगा, जब तक कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता।

ग्राम विकास समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को शामिल करना जरूरी होगा। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

ग्राम पंचायत के अधीन सभी ग्राम पंचायतों का साल में एक बार संयुक्त रूप से अधिवेशन होगा, जो कि ग्राम सभा के मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा।

अधिवेशन में हर ग्राम सभा साल भर में किए गए काम की जानकारी के साथ हिसाब–किताब का ब्यौरा भी पेश करेगी। इसी अधिवेशन में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए लाभान्वित का भी चुनाव किया जाएगा।

हर ग्राम सभा अगले 10 साल के लिए योजनाओं की जानकारी देगी और उसके लिए जरूरी पैसे का भी हिसाब कर अपना अनुमोदन देगी। इसी योजना के मुताबिक सरकार से पैसा आएगा।

गांव वालों की दिक्कतें दूर करेगा सचिवालय

पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत इस साल अगस्त से ग्राम सचिवालय व्यवस्था शुरू की गई है। सप्ताह में अलग–अलग दिन विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी गांव वालों की समस्याओं को उनके गांव के नजदीकी पंचायत मुख्यालय में शिविरों के जरिए दूर किया जाएगा। राजस्व, कृषि, पंचायत ग्राम विकास, ऊर्जा, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, समाज कल्याण, सहकारिता, जल संसाधन, लोक निर्माण, अनुसूचित जाति–जनजाति कल्याण, ग्रामोद्योग और ग्रह तथा पुनर्वास जैसे विभागों से जुड़ी अपनी समस्याओं को लेकर गांव का कोई भी व्यक्ति ग्राम सचिवालय में तैनात सरकारी अधिकारियों से मिल सकता है। हर तीन गांवों पर एक ग्राम सचिवालय होगा और इसका दफ्तर ऐसे स्थान पर बनाया गया है कि गांव के लोगों को वहां तक जाने के लिए कम से कम दूरी तय करना पड़े। इस व्यवस्था से अब लोगों को अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए शहरों की दौड़ नहीं लगानी होगी।

मताधिकार आपका अपना अधिकार

सौमित्र राय

" पंचायती राज कानून के मुताबिक गांव के हर औरत–मर्द को न सिर्फ वोट डालने का हक है, बल्कि अपना मनचाहा नेता चुनने का भी अधिकार है। इसके लिए आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। "

सरजू बाई की उम्र तब लगभग 19 साल की थी, जब वह ब्याह के बाद पहली बार बिशनखेड़ी गांव आई थी। कुछ माह बाद गांव में पंचायत के चुनाव हुए। आठवीं तक पढ़ी–लिखी सरजू बाई की इच्छा वोट डालने की थी, लेकिन पति और घर के बाकि पुरूष सदस्यों ने उसे यह कहकर रोक दिया कि वोट डालना सिर्फ मर्दों का ही काम है।

अब पांच साल बाद फिर से पंचायत के चुनाव होने हैं और इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है। गांव में सिर्फ सरजू बाई ही नहीं, बल्कि उस जैसी और भी महिलाएं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। दो बच्चों की मां सरजू बाई कहती है, वोट डालने का हक हमें कानून ने दिया है तो फिर रोकेगा कौन ? सही कहती हैं सरजू बाई, क्योंकि पंचायती राज कानून के अनुसार गांव का हर व्यक्ति चाहे वह औरत हो या मर्द, यदि उसने एक जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, तो वह वोट डालने का हक रखता है। इस कानून से एक बात साफ है कि न सिर्फ गांव के हर औरत–मर्द को वोट डालने का हक है, बल्कि अपना मनचाहा नेता चुनने का भी अधिकार हैं। इसके अलावा कानून यह भी कहता है कि वोट डालने का हक रखने वाला, यानी 18 साल की उम्र का हर व्यक्ति, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हों, ग्राम सभा का भी सदस्य होता है।

अपनी भूमिका को समझें

जैसे ही गांव में मतदाताओं के नामों की सूची बनाने का काम शुरू हो जाए, समझ लीजिये कि चुनाव आ गए हैं। यदि आप अपना, अपने बच्चों और परिवार का और गांव का भला चाहती हैं तो आपको पंचायत चुनाव में जरूर वोट डालना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको यह बात जरूर ध्यान में रखनी होगी कि गांव की मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो।

याद रहे–

- चुनाव नजदीक आते ही आपको रेडियो, टी.वी, पर चुनाव से जुड़ी जानकारियों को गंभीरता से सुनना चाहिए।
- घर के कामकाज में से समय निकालकर गांव की महिलाओं, महिला मंडल की सदस्यों, गांव की जागरूक महिलाओं आदि से चर्चा करें कि इस बार पंच और सरपंच का चुनाव कौन लड़ रहा है? उनमें से कौन इमानदार है और गांव का विकास अच्छी तरह से कर सकता है?
- गांव की बाकी महिलाओं से विकास के मुद्दों पर चर्चा करें। यह पता करने की कोशिश करें कि गांव के विकास में कौन से मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं।

क्या आप चुनाव लड़ना चाहती हैं?

चुनाव, वोट, पंचायती राज जैसी बातों से अनजान एक भोली–भाली, घरेलू महिला कांता बाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह पंच बन जाएगी। कांता

एक तिहाई वार्ड महिलाओं को

पंचायती राज कानून में गांव के कुल वार्ड में से एक तिहाई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं । आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया है, ताकि गांव की विकास योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़े । यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि समाज स्त्री और पुरूष के रूप में मूलतः दो भागों में बंटा है और विकास योजनाओं का तब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक कि उसका लाभ स्त्रियों और पुरूषों को बराबरी से न मिलें। सिर्फ महिलाओं के आरक्षण में ही पंचायती राज कानून की बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि पंचायती राज का एक प्रमुख अंग यानि ग्रामसभा की बैठक भी तभी हो पाएगी, जब उसकी कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई महिलाएं उस बैठक में उपस्थित न हों । इसका मतलब है कि 100 सदस्यों वाली ग्रामसभा की बैठक में कम से कम 33 महिलाएं शामिल हों समितियों के सभापति पद के लिए भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज कानून में की गई है, लेकिन यह व्यवस्था हर साल दोहराई जाती है । इसका मतलब यह कि कम से कम पांच साल में एक बार तो किसी महिला को सभापति बनने का मौका जरूर मिलेगा ।

ऐसा भी देखने में आता है कि लोग अपनी पत्नियों को चुनाव में खड़ा करवा देते हैं और उन्हें बाद में कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं । इससे बचने के लिए महिलाओं को अंदर से मजबूत होना होगा । डर, झिझक को मिटाकर गांव की अन्य महिलाओं के समर्थन से आगे कदम बढ़ाना होगा, तभी कामयाबी मिल सकेगी।

बताती है, मैनें पंच का फार्म कब भरा और कब चुनाव जीत गई, मुझे नहीं मालूम। सब–कुछ पति ने ही किया। अब वही पति उसे पंचायत की बैठक में नहीं जाने देता। पति का कहना है कि गांव के विकास की बात सोचना औरत का काम नहीं है।

गोविंदपुरा पंचायत की सरपंच मुन्नी बाई का पति भी आए दिन उससे विकास योजनाओं के पैसे ऐंठा करता है। विरोध करने पर मुन्नी बाई के साथ मारपीट भी की जाती है। यहां तक कि मुन्नी बाई के सास–ससुर भी इस मामले में उसके पति का ही साथ देते रहे।

कांता बाई और मुन्नी बाई इस बात की मिसाल हैं कि पंचायत चुनाव में उनका भाग लेना परिवार के उन सदस्यों की एक चाल थी, जो किसी न किसी तरह उसके पद, अधिकार और शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते थे। तो क्या आप भी चाहती हैं कि पंच या सरपंच का चुनाव लड़कर जीत जाने के बाद खुद को अपने पति या ससुराल वालों के हाथ की कठपुतली बन जाने देंगी? हर्गिज नहीं। तो फिर चुनाव लड़ने का फैसला करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए बिन्दुओं को ध्यान से पढ़ें – आपका हौसला, महिलाओं का साथ और पंचायतीराज कानून के बारे में पूरी जानकारी के सहारे ही आपमें आगे बढ़ने की शक्ति आएगी।

फैसला करने से पहले

- पंचायती राज कानून के मुताबिक केवल वही चुनाव लड़ सकता है, जो 21 साल का हो और जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
- मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का मतलब है ग्राम सभा का भी सदस्य होना और पंच, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए यह जरूरी है।
- आप एक ही पद के लिए एक से अधिक वार्डो से चुनाव नहीं लड़ सकतीं।

महिलाओं को आरक्षण

पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है–यह कैसे होता है, इसे जानने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखें–

- यदि आपके गांव में अनुसूचित जाति, जनजाति के कुल तीन वार्ड हैं तो उनमें से एक वार्ड महिला के लिए, यानी एक तिहाई सीटें, आरक्षित होंगी।
- इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए कुल तीन में से एक वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होगा ।
- सामान्य वार्ड में से भी हर तीन में एक वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित माना जाएगा ।
- यही प्रक्रिया जिला और जनपद पंचायतों में भी अपनाई जाती है । इसका सीधा मतलब यह है कि गांव की पंचायत में यदि 12 वार्ड हैं तो चार वार्डो में एक वार्ड महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगा। कानूनन यह एक आवश्यकता है, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखें।

अपना वोट कैसे डालें

आप चुनाव लड़ रही हों या नहीं, लेकिन मतदाता के रूप में अपना वोट तो डाल ही सकती हैं। वोट डालने के लिए आपको अपने गांव में नजदीक के किसी मतदान केंद्र तक जाना पड़ेगा, जहां–

- मतदाता केंद्र के आसपास तैनात चुनाव कार्यकर्ताओं से अपने नाम की परची जरूर लें । यह परची आपको तभी मिलेगी, जब आपका नाम गांव की मतदाता सूची में शामिल हो ।
- वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हों और अपनी बारी आने पर केंद्र के अंदर जाएं।
- वहां आपके पास मौजूद परची का मिलान मतदाता सूची में किया जाएगा । यदि उस समय कोई मतदान कार्यकर्ता आपको वोट डालने से रोकता है तो आप उसका कड़ा विरोध करें।
- यदि आप पंच/ सरपंच / जनपद / जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार हैं तो आपको अपने गांव / वार्ड / पंचायत के मतदान केंद्र पर एक कार्यकर्ता को बिठाना होगा।
- यदि मतदान केंद्र जाकर आपको यह पता लगता है कि आपका वोट तो कोई और डाल गया है तो आप घबराएं नहीं । मतदान पर्ची से आप साबित करें कि आप ही असली मतदाता हैं तो आपको वोट डालने दिया जाएगा।

महिला सशक्तीकरण की मिसाल बनी हकरी बाई

✍नीति दीवान

" हकरीबाई ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वे वास्तव मे अपने क्षेत्र की महिला को सबल बनाने के प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगी। किन्तु उनकी लगन और मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। "

पश्चिम मध्यप्रदेश के अदिवासी बहुल जिला झाबुआ के छोटे से गांव गड़वाड़ा की रहवासी 55 वर्षीय भील आदिवासी महिला हकरी बाई अपनी इस सफलता को कभी व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं मानती। वे कहती हैं कि मैने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंच पाउंगी। वे अपने शुरूआत के दिनों को याद करती हैं और बताती हैं कि मैं भी क्षेत्र के अन्य लोगों की तरह मजदूरी करती थी। बाहर गांव काम करने की मुसीबत मैने खुद भुगती है, इसलिए पता है कि जब महिला पलायन करती है तो किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है और यहीं से इस बात को साकार करने का मैने फैसला किया। इस काम में मुझे बहुत दिक्कतें आई। इसका कारण मेरा औपचारिक रूप से शिक्षित न होना और गरीबी थी। किन्तु यह दोनों समस्याएं पूरे काम मे बाधक नही बनी, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी था उन्ही महिलाओं का संगठन बनाना जो मजदूरी कर पेट पाल रही हैं। हमने इन महिलाओं का संगठन बनाया और स्वयं सेवी संस्था की मदद से बचत समूह का काम शुरू किया। शुरूआत में लोगों को विश्वास नहीं था, इसलिए कई दिनों तक एक समूह ही बन पाया। किन्तु जब हमारी आर्थिक जरूरत पैसे से पूरी होने लगी तो बाकी जगह भी समूह बनाने की प्रकिया शुरू की। हम अपने काम को और सुव्यस्थित करने के लिये सेवा संस्था का काम देखने अहमदाबाद गये।

वहां काम देखकर तो हम सबका उत्साह और दुगना हो गया। हमने वापस आकर गांव में भी महिलाओं को संगठित करना शुरू किया और धीरे–धीरे 135 समूह बना लिये। आपस में लेन–देन की प्रकिया के साथ ही बैंक से लोन लेकर महिलाओं ने कुछ छोटे–मोटे रोजगार भी शुरू किये। बैंक के काम में महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी । पढना–लिखना तो दूर दस्तखत करना भी नहीं आता था किन्तु यह बात हमारे काम में कभी बाधक नही बनी । वे हंसते हुये कहती हैं जब काम अच्छा हो तो हर कोई मदद के लिये आगे आ जाता है और हमारे साथ भी यही हुआ। इस गांव मे चलने वाले समूह की संख्या जब 135 पर पहुंच गई तो हमने इस समूह को जोड़कर कोआपरेटिव बनाया और महिला बैंक की शुरूआत की। आज संगठन की हर महिला बे–झिझक बैंक के काम–काज सरलता से कर लेती है। साथ ही संगठन अन्य मुद्दों पर सक्रिय है। आज यह संगठन सिर्फ बचत जैसे तकनीकी काम तक ही नही उलझा हैं। बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं पर भी जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम हैं कि पानी प्रबंधन के काम से लेकर महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ भी यह महिलाएं चुप नही बैठती । चर्चा के दौरान एक उदाहरण सामने आया कि पिछले कुछ वर्षो तक लगातार पड़े सूखे की स्थिति पर काबू पाने के लिये सरकारी और गैर सरकारी स्थलों पर तरह–तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या का समाधान ढूंढने में पंचायतें भी पीछे नहीं थी। इन पंचायतों में 1500 की आबादी वाली एक पंचायत है मोहनपुरा, जिसके अंतर्गत आने वाले गांव गड़वाड़ा में भी भीषण सूखे की स्थिति निर्मित हो गई। परम्परागत पानी के स्त्रोत सूखने के बाद गांववासी इस समस्या से जूझने की तैयारी में जुट गये। पंचायत ने भी तालाब गहरीकरण की योजना बनाई और इसे राहत कार्य का नाम दिया गया। तय हुआ कि प्रत्येक मजदूर को काम के बदले 5 किलो अनाज और 25 रूपए मजदूरी के रूप मे दिये जायेंगे। ग्राम सभा की मीटिंग मे इस प्रस्ताव पर चली लम्बी चर्चा के दैरान तय किया गया कि काम का कुछ हिस्सा श्रमदान के रूप में होगा और कुछ हिस्सा मजदूरी के भुगतान के रूप मे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान महिलाओं की भागीदारी समान मात्रा में थी, इनमें से अधिकांश महिलाएं बचत समूह के काम में सक्रिय थी। गांववासियों के सहयोग से तालाब गहरीकरण का काम शुरू हुआ, किन्तु जब मजदूरी का भुगतान होने लगा तो मात्र पांच किलो अनाज ही दिया गया। ऐसा क्यों पूछने पर सरपंच का जवाब था कि सरकार से इतना पैसा ही आया

औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव और दृढ इच्छाशक्ति की बदौलत हकरीबाई ने ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ संगठित ही नहीं किया, बल्कि उन्हें जागरूक कर अपने हक के लिए आवाज उठाना भी सिखाया।

है। किन्तु गांववासी इस बात पर अडिग थे और उन्होंने मजदूरी लेने से साफ इन्कार कर दिया। अंततः सबने मिलकर तय किया कि जिला अध्यक्ष से मिलेंगे। बचत समूह की अध्यक्ष कलावती को अपनी आपबीती सुनाई। कलावती पंचायत कार्यालय पहुंची और अध्यक्ष श्रीमती हकरीबाई एवं गांव की अन्य महिलाओं के नेतृत्व में सभी सामूहिक रूप से जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। जिलाध्यक्ष को कलेक्टर से बात करने के लिए विवश होना पड़ा। गांव वाले दोहरा रहे थे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम यहीं धरना देंगे। कलेक्टर का कहना था कि वह पैसा हमने दूसरी जगह के राहत कार्य में लगा दिया है, किन्तु धरने की बात सुनकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया और आनन–फानन में मजदूरी की रकम का भुगतान करने को राजी हो गया। इस तरह महिलाओं के नेतृत्व में मिली इस जीत ने गांववासियों का विश्वास जीत लिया। अब हकरी बाई के साथ बचत समूह की महिलाएं ही नहीं, बल्कि अन्य महिलाएं भी ग्राम सभा मे नियमित भागीदारी करते हुए सवाल करने लगी हैं। हकरीबाई बताती हैं कि हमारे हर काम का अन्तिम फैसला तभी होता है, जब सबकी राय इसमें शामिल हो। इसलिए आज इस संगठन में सदस्य सिर्फ महिलाएं ही हैं। किन्तु हम पुरूषों से भी बराबर सलाह लेते रहते हैं । झाबुआ जिले की हकरी बाई ने महिला सशक्तिकरण की जो दिशा तय की है, वह आने वाले समय में महिलाओं को और सक्षम बनाने में अवश्य मददगार साबित होगी ।

जब विरोधी हुए प्रशंसक

"सरपंच द्वारा श्मशान की भूमि पर तार फेंसिंग कराकर अग्नि संस्कार वाले क्षेत्र में टीनशेड तैयार करवा दिया गया, जिससे बरसात के दिनों में ग्रामीणों को अग्नि संस्कार करने में परेशानी नहीं होती है। वर्तमान में इस कार्य से समस्त ग्रामवासी खुश हैं। जो कल तक विरोध करते थे, आज वे प्रशंसक बने हुए हैं "

हरदूखेड़ी ग्राम पंचायत गंजबसौदा विदिशा जिले में स्थित है। जिला मुख्यालय से ग्राम की दूरी 80 किलोमीटर है। इस गांव की सरपंच 50 वर्षीय श्रीमती नब्बीबाई है। वे पूर्णतः अशिक्षित है। अशिक्षित होने के बावजूद उनका एक ही लक्ष्य है, गांव का विकास करना । समस्या थी तो गांववासियों को । इस कारण जगह–जगह उनका विरोध जताया जा रहा था । सभाओं में लोगों की उपस्थिति आशानुरूप नहीं होती थी। इसकी मुख्य वजह थी संपन्न लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा, तो वहीं गरीबों का अपने अधिकारों से वंचित होना । इन सबके बावजूद नब्बी बाई विकास के काम करती आ रही थी। सड़क निर्माण, कुआं निर्माण, हैन्डपंप लगवाना, गरीबों को लाभ दिलवाना, वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा आवास आदि सामाजिक कामों को प्राथमिकता दी जाती थी।

इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या थी मरघट की निर्धारित भूमि पर संपन्न लोगों का कब्जा, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार आदि करने में परेशानी होती थी। परन्तु कोई भी व्यक्ति संपन्न लोगों के विरोध में आवाज नहीं उठा पाता था। परन्तु इस बात की जानकारी सरपंच को दी गई । ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर अग्रिम कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष मामला पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी की देखरेख में तत्काल कार्यवाही की गई व उक्त भूमि को पंचायत के अधीनस्थ कर दी गई। सरपंच द्वारा उसी भूमि पर तार फेंसिंग कराकर अग्नि संस्कार वाले क्षेत्र में टीनशेड तैयार करवा दिया गया, जिससे बरसात के दिनों में अब ग्रामीणों को अग्नि संस्कार करने में परेशानी नहीं होती है। वर्तमान में इस कार्य से समस्त ग्रामवासी खुश हैं। जो कल तक विरोध करते थे, आज वे प्रशंसक बने हुए हैं। अब तो यहां तक कहा जाता है कि सरपंच हो तो ऐसा, तभी ग्रामीण विकास संभव है, नहीं तो सब व्यर्थ है।

अहिल्या बाई, एकता परिषद, भोपाल

कैसे होते हैं पंचायतों के चुनाव

"पंचायतीराज व्यवस्था सत्ता के विकेन्द्रीकरण की वह व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि लोग अपने ही बीच से किसी को अपना नेता या प्रतिनिधि चुनें"

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में शायद ही कोई ऐसा है, जो चुनाव प्रक्रिया के बारे में नहीं जानता हो। संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव हर पांच साल बाद होते ही है, जिसकी चमक राजधानी से लेकर दूर–दराज के गांवों तक में साफ सुनाई देती है । इसी तरह नगर निगमों के भी चुनाव होते हैं। मगर पंचायती राज चुनाव इन सबसे कई मामलों में अलग हैं । यह इसलिए क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आम लोगों की सहभागिता सिर्फ वोट के ही जरिये होती है । सत्ता तो दरअसल उन जनप्रतिनिधियों के हाथों में होती है, जो एक बड़े हिस्से मे हजारों–लाखों लोगों के नेता होते हैं ।

लेकिन पंचायतीराज चुनाव में ऐसा नहीं है । गांव की पंचायत कई वार्डो के पंचों की सबसे बड़ी संस्था होती है। हर पंच कुछ सौ मतदाताओं के एक छोटे से समूह का प्रतिनिधि होता है और इस नाते उसकी प्राथमिकताएं अपने वार्ड के विकास तक सीमित होती है। सरपंच का काम अपने गांव का विकास करना होता है और इस तरह पंचायत चुनाव की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि आपका हर वोट गांव के विकास की दिशा तय करता है। हकीकत में पंचायतीराज व्यवस्था सत्ता के विकेन्द्रीकरण की वह व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ताकि अपने बीच से किसी को अपना नेता या प्रतिनिधि चुनें और वह अपने क्षेत्र का इमानदारी व समर्पण से विकास करे। मतलब साफ है, पंचायती राज ने गांव की सत्ता गांववालों के ही हाथ दे दी है। कानूनन किसी भी गांव के विकास की योजना अब दिल्ली या भोपाल में नहीं बनेगी, बल्कि गांव के लोग ही अपनी तरक्की के उपाय बताएंगे और उन्हें लागू भी कर सकेंगे।

इस तरह से पंचायतें देश के संवैधानिक व संघीय ढांचे के भीतर रहते हुए भी एक पूर्णतः स्वतंत्र व स्वशासी निकाय की तरह काम करती हैं । आइए देखें यह काम किस तरह से होता है –

कैसे बनती है पंचायत ?

- गांव की पंचायत तब बनती है, जब उस गांव की आबादी कम से कम एक हजार की हो । यदि आबादी एक हजार नहीं है तो आसपास के गांव को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है ।
- हर गांव की पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होने चाहिए। उदाहरण के लिए 1000 की आबादी वाले गांव में 10 वार्ड होंगे और 20,000 की आबादी पर 20 वार्ड होंगे।
- हर वार्ड से एक पंच होगा । यदि गांव में 10 वार्ड हैं तो तीन वार्डो में महिला पंच होगी ।
- गांव के हर वार्ड के मतदाता अपने वार्ड के पंच को वोट देंगे ।

चुनाव प्रक्रिया :

हर पंचायत का कार्यकाल पांच साल का होता है और पांच साल का समय पूरा होने से पहले ही सरकार चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देती है।

मतदाता सूची

- हर गांव में पंचायत की अलग से मतदाता सूची बनती है।
- गांव के हर वार्ड में सभी मकानों

पंचायत निर्वाचन — प्ररूप – क

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा आवेदन
(नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप–क")

सेवा में,
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
ग्राम पंचायत .... विकासखण्ड .... जिला........

महोदय,

मैं, प्रार्थना करता/करती हूं कि उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक .... में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए.

मेरा नाम (पूरा) .... पुरुष/स्त्री........
पिता/पति का नाम .... गृह क्रमांक ....
ग्राम .... विकासखण्ड........ जिला........

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार –

(1) मैं भारत का/की नागरिक हूं.
(2) गत 1 जनवरी को मेरी आयु .... वर्ष और........ मास थी
(3) मैं ऊपर दिए गए पते वाले स्थान का/की सामान्यतः निवासी हूं.
(4) मैंने उक्त ग्राम पंचायत के किसी अन्य वार्ड के लिए मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है.
(5) उक्त ग्राम पंचायत या किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरपालिका की मतदाता सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

या

मेरा नाम ग्राम/नगर........ जिला........ जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले सामान्यतः निवास कर रहा था/रही थी, की मतदाता सूची में सम्मिलित है, और मैं प्रार्थना करता/करती हूं कि उसे उक्त मतदाता सूची से हटा दिया जाए :–

ग्राम .... वार्ड क्रमांक........ ग्राम पंचायत........
विकासखण्ड........ जिला ....
नगर .... वार्ड क्रमांक .... तहसील .... जिला........

स्थान ....
तारीख .... दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए

नाम जुड़वाने का दावा आवेदन

प्ररूप–ख

पंचायत निर्वाचन
मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के बारे पर आपत्ति
(नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप ख")

सेवा में,
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
ग्राम पंचायत........ विकासखण्ड........

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... प्रविष्टि, जो क्रमांक .... पर .... के रूप में शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप से पढ़ी जाए :–

....
....

स्थान ....
तारीख........ मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पूरा नाम ....

टिप्पणी – जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है.

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना
(प्रस्तुतकर्ता के लिए)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो ग्राम .... का/की निवासी है, से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त हुआ.

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान........ में स्थित अपने कार्यालय में तारीख........ को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों.

तारीख........ प्राधिकृत कर्मचारी ....
वार्ड क्रमांक ....
वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पावती
(कार्यालय के लिए)

सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख ....

प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई.

तारीख........ हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
प्रस्तुतकर्ता

किसी नाम पर आपत्ति की शिकायत

पर नंबर चढ़ाए जाते हैं और घर में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी सदस्यों का नाम मतदाता सूची में चढ़ाया जाता है।

मतदाता सूची की जांच

- मतदाता सूची बनाने के बाद उसे गांव के पंचायत भवन, स्कूल आदि में चिपकाया जाता है, जिससे सब लोग सूची में अपना नाम आसानी से देख सकें।
- यदि आपको अपना नाम सूची में चढ़वाना हो या किसी का नाम कटवाना हो तो आप सूची चिपकने से पांच दिन के भीतर अपना आवेदन पेश कर सकती हैं।
- आवेदन पंचायतकर्मी / स्कूल मास्टर / पटवारी या ऐसे कर्मचारी को ही दें, जिसे रजिस्ट्रीकरण अफसर बनाया गया हो । आवेदन के साथ आपको सबूत भी देने होंगे।

परचा कैसे भरें –

- पंच का चुनाव लड़ने के लिए जमानत की रकम के साथ एक परचा भरना पड़ता है, साथ में प्रस्तावक (आपके नाम का समर्थन करने वाले) के दस्तखत भी परचे में होने चाहिए। महिलाओं के लिए जमानत की रकम 20 रूपए है। जबकि बाकी लोगों को 40 रूपए देने होते हैं ।
- परचा जनपद पंचायत के कार्यालय या पंचायत कार्यालय में ही जमा होता है।
- सरपंच का परचा भी इसी तरह दाखिल किया जाता है, पर इसमें महिलाओं को 100 रूपए और बाकि लोगों को 200 रूपए की जमानत देनी पड़ती है ।

प्ररूप – ग

पंचायत निर्वाचन | प्ररूप – ग

मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति
(नियम 11 (2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप–ग")

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
ग्राम पंचायत.................................विकासखण्ड ....जिला.................................

महोदय,

मैं, उपरोक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के वार्ड कमांक ....में कमांक.......................पर श्री/ श्रीमती/कुमारी.................................का नाम सम्मिलित किए जाने पर, निम्नलिखित कारण से आपत्ति करता/करती हूं :–

....
....
....

1. मैं, घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, उक्त ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित हुआ है :–

पूरा नाम ....पुरूष/स्त्री ....
पिता/पति का नाम ....वार्ड कमांक ....मतदाता कमांक ....
मतदाता कमांक.......................

तारीख.......................

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पूरा डाक पता ....
....

आपत्ति का समर्थन

मैं, उस मतदाता सूची में सम्मिलित एक मतदाता हूं, जिसमें वह नाम दिया हुआ है जिस पर आपत्ति की गई है, मेरा नाम वार्ड कमांक.......................की मतदाता सूची में कमांक .... पर दर्ज है, मैं इस आपत्ति का समर्थन करता/करती हूँ और इस पर हस्ताक्षर करता/करती हूँ,

....
मतदाता के हस्ताक्षर
पूरा नाम ....

टिप्पणी – जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है,

किसी गलत व्यक्ति का नाम शामिल करने पर आपत्ति फार्म

अपना पर्चा कैसे भरें

- पंच का चुनाव लड़ने वाले को अपने गांव के ही किसी एक मतदाता का समर्थन प्राप्त कर उसका नाम प्रस्तावक के रूप में परचे में लिखाना होगा। प्रस्तावक के दस्तखत या अंगूठे का निशान भी साथ में होना चाहिए ।
- इसी तरह सरपंच पद के लिए उम्मीदवार को अपने गांव के पंचायत में किसी मतदाता को प्रस्तावक बनाना होगा।
- महिला या पुरूष, कोई भी व्यक्ति पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य में से किसी एक या उससे ज्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन वह एक ही पद के लिए एक साथ दो जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकता।

परचा कैसे जमा करें ।

- अपना परचा पूरी तरह से भरकर पंचायत/जनपद पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी या उसके सहायक अधिकारी के पास ही जमा कराएं । परचा निर्धारित तारीख को जमानत की रकम के साथ जमा कराएं ।
- परचा गलत भरने पर या उसमें प्रस्तावक का नाम न होने पर फार्म रद्द हो सकता है। ऐसे में आपकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी।
- यदि आप चुनाव में नहीं खड़े होना चाहते और अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो अपने गांव / जनपद के पंचायत कार्यालय जाकर आपको नाम वापसी वाला फार्म भरना होगा, जिसको जमा करने पर आपको एक पावती रसीद भी मिलेगी।

चुनाव चिन्ह

सभी परचों की जांच हो जाने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, जिसकी सूचना सभी उम्मीदवारों को दी जाती है ।

महिला सशक्तिकरण की राह पर चल पडी सरजू बाई

✍तहसीन खान

" बिजौरा पंचायत की सरपंच श्रीमती सरजू बाई जो राष्ट्रीय व राज्य स्तर के विभिन्न कायक्रमों में भाग ले चुकी हैं और हर स्तर पर ग्रामीण विकास और महिलाओं के अधिकारों की बात रख चुकी हैं। "

संविधान के 73 वें संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान ने चौका–बर्तन से निकालकर महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों को जो बल दिया है। उसी की जीती जागती उदाहरण हैं बिजौरा पंचायत की सरपंच श्रीमती सरजू बाई, जो राष्ट्रीय व राज्य स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं और हर स्तर पर ग्रामीण विकास और महिलाओं के अधिकारों की बात रख चुकी हैं। सरजू बाई जिनकी उम्र 42 वर्ष है, तीन बच्चों की मां हैं। वह ग्राम पंचायत बिजौरा के पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षण होने पर पहली बार पंचायत की सरपंच बनी हैं। ग्राम पंचायत बिजौरा छापरी कला छापरी खुर्द से मिलकर बनी हैं। पंचायत की कुल जनसंख्या 1600 है। ग्राम पंचायत बिजौरा सीहोर मुख्यालय से 7 किमी. दूर स्थित है जो आज भी जिला मुख्यालय से कच्चे रोड मार्ग से जुड़ी हुई हैं। पंचायत में सुविधाओं की दृष्टि से तीनों गांवों मे एक एक प्रायमरी स्कूल है। पेयजल व्यवस्था के लिये पंचायत में 5 कुएं, 11 हैडपंप हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। पंचायत में कुल 16 पंच हैं जिसमें 5 महिला व 11 पुरूष हैं। पंचायत का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जिसमें गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, मक्का, आदि फसलें की जाती है। अन्य व्यवसाय के रूप में छोटे स्तर पर दुग्ध उत्पादन का कार्य होता है। पंचायत को जाति व्यवस्था के आधार पर देखें तो यहां हरिजन और पिछड़े वर्ग जाति के लोग रहते है। पंचायत में पिछड़ा वर्ग की बाहुल्यता है। सरजू बाई ने पति व पड़ोसियों के कहने पर कि इस बार पंचायत के चुनाव में महिलाओं को ही खड़े होना है, क्योंकि पंचायत का आरक्षण पिछड़ा वर्ग महिला के लिए हुआ है, सरपंच के चुनाव में खड़े होने के लिए हामी भर ली और पंचायत का चुनाव 20 वोटों के अंतराल से जीता। सरजू बाई बताती हैं कि सरपंच पद के लिए मेरे विपक्ष में दो अन्य महिलाएं खडी हुई थी, जिसमें एक महिला बिजौरा व दूसरी महिला मेरे अपने ही गांव छावरी कला कि थी। चुनाव जीतने के बाद गांव के लोगों ने जब मुझे सरपंच जी बोलना शुरू किया, तब लोगों के बोलने से शुरू में मुझे शर्म आती थी और खुशी भी होती थी। क्योंकि लोग सम्मान भी देते थे। मैं पहली बार जब पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में गई तो बैठक में ही मुझे बताया कि मैं इस ग्राम सभा की अध्यक्ष हूं और यह बैठक मेरी अध्यक्षता में चलेगी, तब तो मेरे प्राण ही निकल गए। पर घूंघट डाले हुए मैं बैठी रही और मेरे पति मुझे समझाते रहे और, हिम्मत भी बंधाई । तब पहली बार मैंने पंचायत के काम काज को पास से देखा और सुना। उसके बाद मैंने अपने पंचायत के सचिव से लगातार संपर्क रखा और पंचायत में अपने पति के साथ जाने लगी । तब तक मुझे पंचायतों के कार्यो की थोड़ी–थोड़ी समझ हो चुकी थी। उसी समय तहारी पंचायत में समर्थन संस्था से कुछ कार्यकर्ता गांव में आए

और लोगों के साथ बैठक कर उन्हें पंचायतों के बारे में जानकारी दी । हम गांव में युवाओं तथा महिलाओं के समूह बनाकर भी काम कर रहे थे। तभी मुझे एक ट्रेनिंग में बुलाया गया और मैंने पंचायतों के अधिकार और कानूनों को समझने के लिए के लिए ट्रेनिंग में भाग लिया। तब मुझे पता चला कि महिलाओं का आरक्षण क्यों किया गया है। सरपंच के क्या कार्य हैं, और पंचायत को कौन से अधिकार दिए गए हैं। तब मेरी पंचायत के कार्यो को लेकर अच्छी समझ बनी और तभी से मेरी सोच और कार्य करने में बदलाव आया। इसके बाद संस्था ने मुझे दिल्ली और भोपाल के बड़े–बड़े कार्यक्रमों में जाने को कहा। तब मैंने अपने पति से जाने की बात कही। उन्होंने सवाल–जवाब करते हुए जाने की स्वीकृति दे दी। मैं पहली बार अपने गांव से अकेली इतने बड़े कार्यक्रमों में भाग लेने गई। जब मैं दिल्ली के कार्यक्रम में महिला सरपंचों से मिली और उनके साथ रहकर कार्यक्रम में भाग लिया, राष्ट्रपतिजी से मिली तथा पूरे देश की महिलाओं के संबंध में चर्चाएं सुनीं, तब पता चला कि महिलाओं के साथ कितने शोषण और अत्याचार हो रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा के लिये कितने कानून और आरक्षणों का प्रावधान है। तब मुझे लगा कि गांवों में तो महिलाओं को कुछ पता ही नहीं है और समाज कैसे उनका शोषण कर रहा है । तब मेरे मन में आया कि मैं अपनी पंचायत के गांवों की महिलाओं को जागरूक करूंगी और पंचायत में भी उनकी भागीदारी बढाउंगी। तब से मैं अपनी पंचायत महिलाओं को संगठित करने व उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रही हूं। सरजू बाई कहती है कि जबसे पंचायत में ग्राम स्वराज की व्यवस्था लागू हुई है, तब से लोगों की जिम्मेदारी और कर्तव्य समितियों के माध्यम से बढ़े हैं समितियो में महिलाओं के लिये आरक्षण के चलते निर्णय प्रक्रिया मे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिसकी वजह से ग्राम सभाएं भी मजबूत हुई हैं। सरजू बाई कहती हैं, पंचायत में अभी 4 महिला समूहों का गठन हो चुका है और मैं खुद भी एक महिला समूह की सदस्य हूं संरजू बाई का कहना है कि वह गांव मे छुआ–छूत, बाल–विवाह, जात–पात दूर करने के प्रयास कर रही है। पढ़ी–लिखी न

मैं पहली बार जब पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में गई तब बडी झिझक थी, क्योंकि उससे पहले तो मैं कभी भी ग्राम सभा की बैठकों में गई ही नही थी और उस पहली बैठक में ही मुझे बताया गया कि मैं इस ग्राम सभा बैठक की अध्यक्ष हूं तब तो जैसे मेरे प्राण ही निकल गए।

होने के बावजूद वह स्वयं विधायक व अन्य अधिकारियों के पास जाकर अपने पंचायत के कार्यों को पूर्ण कराने लिए सहयोग व निधि की मांग करती है । सरजू बाई बताते हुये कहती है कि उन्हें जनपद व जिला स्तर पर पंचायत के कार्यों को कराने मे अभी भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

सरजू बाई अपनी पंचायत के तीनों गांवो में लोगों के सहयोग से रोड, हैडपंप, कुएं का गहरीकरण, स्कूल की तार फेसिंग बाउंड्रीवाल व स्कूल –शौचालय आदि कार्यो को करा चुकी है । साथ में गरीब परिवारों को इंदिरा आवास योजना से झुग्गी व वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ भी दिलवाया है । वह कहती हैं, मैं सतत् रूप से गांव के विकास के लिए प्रयास कर रही हूं अब मुझे अच्छा लगता है, जब लोग मुझे सरपंच कहते हैं। गांव की महिलायें मेरे साथ आकर मेरा सहयोग करती है। अब मुझे लोगो के साथ बात करने मे बैठक लेने मे कोई परेशानी नहीं होती है । सरजू बाई कहती है, कि अभी भी पंचायत के स्तर पर लोगों में जागरूकता की कमी है।

तीसरी संतान की आड़ में टूटता महिला का मान

✍सौमित्र राय

" मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम में जिन पंचायत प्रतिनिधियों, (चाहे वे महिला हों या पुरूष) को 2001 से पहले तीन बच्चे हों, उन्हें पद से बर्खास्त किया जा सकता है। इस कानून के तहत चार साल में 76 पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। "

सीहोर के दोराहा गांव की महिला सरपंच तारावती ने महिला आरक्षित सीट पर 160 वोटों से चुनाव जीता था । उसके बाद तारावती ने गांव में सड़क, नाली हैंड पंप के काम करवाए, तालाब बनवाया और पुराने कुएं की सफाई करवाई। तारावती की बढ़ती लोकप्रियता, कुछ लोगों को नहीं सुहाई और उन्होंने शिकायत कर दी कि सरपंच चुने जाने के बाद तारावती तीसरे बच्चे की मां बनी है, जो कि गैरकानूनी हैं। मगर खुद तारावती इस बात को गलत बताती हैं। वह कहती हैं,''सन् 2001 में मेरी दूसरी संतान पैदा हुई । महिलाओं को ऐसे ही झूठे मामलों में फंसाया जाएगा तो वे फिर घर की चौखट तक सिमटकर रह जाएंगी, सत्ता में भागीदारी नहीं निभा पाएंगी ।

मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम में जिन पंचायत प्रतिनिधियों (चाहे वे महिला हों या पुरूष) को 2001 से पहले तीन बच्चे हों, उन्हें पद से बर्खास्त किया जा सकता हैं । बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों पर यह कानून इसलिए लागू किया गया, ताकि वे गांव के सामने सीमित परिवार को अपनाने के लिए खुद को आदर्श साबित कर सकें ।

मगर इस कानून के तहत पिछले चार साल में 76 पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है । इनमें महिला सरपंचों की संख्या 19 है । इसके अलावा महिला सरपंचों के नौ मामले अदालत में चल रहे हैं, जहां इस बात का फैसला होना है कि क्या वास्तव में उनकी तीन संतान है।

कानून की प्रांसगिकता

लोग फिलहाल यह जानना चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद तीसरी संतान होने पर पद से हटाने का यह कानून सिर्फ पंचायत के पंच, सरपंच या जनपद प्रतिनिधियों पर ही क्यों लागू किया गया, विधायकों–सांसदों पर क्यों नहीं। गौर करने लायक बात यह भी है कि अगर कोई किसी पंचायत प्रति. निधि के खिलाफ यह शिकायत करे कि पद पर चुने जाने के बाद उसके तीन या उससे ज्यादा बच्चे हुए हैं, तो उस शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती है।

तीसरी संतान का कानून लागू करने से पहले यह भी नहीं सोचा गया कि क्या अल्पशिक्षित ग्रामीण जनता सीमित परिवार का महत्व जानते हैं ? एक ऐसे ग्रामीण समाज में, जहां बेटी की तुलना में बेटे को ही महत्व दिया जाता है, वहां आबादी रोकने के प्रयास के रूप में ऐसे कदम की अचानक आवयश्यकता क्यों पड़ी ?

सातवीं तक पढ़ी पुष्पलता की उम्र 23 साल है और पंच चुने जाने के समय उसकी एक ही संतान थी । पुष्पलता बाद में फिर गर्भवती हुई और उसके जुड़वां बच्चे हुए । क्या पुष्पलता को भी तीसरी संतान के कानून का शिकार होना पड़ेगा ? वह कहती हैं, हमें क्या मालूम था कि जुड़वां बच्चे ही होंगे ?

इस लिहाज से यह ऐसा पहला कानून है, जिसका आधार शिकायत है। तीसरी संतान के कानून का शिकार बड़ी संख्या में वे लोग हुए हैं, जो या तो कमजोर वर्गो से हैं या फिर अनुसूचित जाति, जनजाति व महिला हैं। दरअसल पंचायती राज लागू करने का एकमात्र मकसद यही था कि गांव की विकास प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल किया जाए, जो बरसों से दबे–कुचले, शोषित हैं और उन्हें सत्ता में भागीदार बनाकर विकास की धारा को समाज के अंतिम सिरे तक पहुंचाया जाए । लेकिन तीसरी संतान के कानून ने सबसे ज्यादा इसी वर्ग को प्रभावित किया हैं ।

जिले	विचाराधीन प्रकरणो की सख्या (महिला)	बेदखल किये गए पंचायत प्रतिनिधि (महिला)
भोपाल	1	0
सीहोर	1	1
होशंगाबाद	5	1
इन्दौर	1	1
झाबुआ		1
धार	1	1
शाजापुर		1
मन्दसौर		2
कटनी		1
सिवनी		5
सतना		2
गुना		1
शिवपुरी		5

एक तरह से यह कानून पंचायती राज के माध्यम से सौंपे गए अधिकारों को छीनने जैसी बात है।

तीसरी संतान का कानून लागू करने से पहले यह भी नहीं सोचा गया कि क्या अल्पशिक्षित ग्रामीण जनता सीमित परिवार का महत्व जानते हैं ? एक ऐसे ग्रामीण समाज में, जहां बेटी की तुलना में बेटे को ही महत्व दिया जाता है, वहां आबादी रोकने के प्रयास के रूप में ऐसे कदम की अचानक आवश्यकता क्यों पड़ी। यहां यह सवाल भी प्रासंगिक है कि परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी हो इसका निर्धारण करने वाला कौन है? स्त्री या पुरूष ? अगर बेटे की आस में तीन या उससे ज्यादा बेटियों की लाइन लगाई जाती है तो स्त्री. ही इस बात की दोषी है? क्या गांव में गर्भनिरोधन के इतने साधन उपलब्ध हैं, या फिर ग्रामीण आबादी को सीमित परिवार के उपायों की जानकारी है कि वे स्वयं उन पर अमल कर सकें। मेहनत–मजदूरी के जरिए अपना पेट भरने वाले खेतिहर मजदूर वर्ग के लिए तो जितने हाथ, उतने रोजगार की बात लागू होती है । तब क्या तीसरी संतान कानून इन कमजोर, गरीब वर्गों के लिए विकास की प्रक्रिया में भागीदारी के उनके अधिकारों पर डाका नहीं है।

कुछ इसी तरह की कहानी अनूपपुर के उमरदा कोतमा गांव की आदिवासी पंच पुष्पलता साहू की है। सातवीं तक पढ़ी पुष्पलता की उम्र 23 साल है और पंच चुने जाने के समय उसकी एक ही संतान थी । पुष्पलता बाद में फिर गर्भवती हुई और उसके जुड़वां बच्चे हुए । क्या पुष्पलता को भी तीसरी संतान के कानून का शिकार होना पड़ेगा ? वह कहती हैं, हमें क्या मालूम था कि जुड़वा बच्चें ही होंगे ? पुष्पलता ऐसे कानून को महिलाओं के आगे बढ़ने में बाधक मानती हैं। वे कहती हैं बच्चे तो भगवान की देन है । क्या सरकार उन्हें भी नहीं बख्शेगी? गांवों के ज्यादातर लोग तीसरी संतान के कानून को गलत मानते हैं । उन्हें लगता है कि किसकी कितनी संतान होगी, यह लोगों का व्यक्तिगत मसला है, इसका पंचायतीराज से कोई संबंध नहीं है।

एक और चिंताजनक बात यह भी है कि तीसरी संतान कानून के कारण पद से हटाए गए अधिकतर पंचायत प्रतिनिधियों (खासकर महिलाओं के) बारे में उनके गांववालों का सोचना है कि वे गांव के विकास के प्रति समर्पित थे।

ऐसे पंच, सरपंच गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते थे। केवल एक शिकायत के आधार पर उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे गांव में आपसी कटुता बढ़ी है । करीब 70 प्रतिशत मामलों में से पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाए मामलों में से पंचायत प्रतिनिधियों

को पद से हटाए जाने के बारे में ग्राम सभा का अनुमोदन महज 10 फीसदी मामलों में ही हुआ है । साफ है कि ग्रामसभा खुद ही नहीं मानती कि तीसरी संतान कानून के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को पद से बेदखल किया जाना चाहिए । सबसे उपर गांव के आदिवासी समुदाय में इस कानून को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वहां शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है । स्वास्थ्य सुविधाएं कई गांवो में नहीं के बराबर हैं। ऐसे में दो बच्चे पैदा करने का जोखिम कोई भी लेना नहीं चाहता । बहरहाल अब फिर से पंचायत चुनाव होने हैं और तीसरी संतान का कानून अब भी लागू है । पिछले अनुभव बताते हैं, कि इस कानून के कारण गांव के लोगों (अधिकांश महिलाओं) में पंचायती राज के प्रति दिलचस्पी खत्म होती जा रही है। लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह निश्चित रूप से एक गंभीर खतरा है।

2002–2003 में विचाराधीन प्रकरण

जिले	सरपंच	जनपद सदस्य	जिले	सरपंच	जनपद सदस्य
भोपाल	3		छतरपुर	14	
सीहोर	17		टीकमगढ़	3	
बैतूल	1		जबलपुर	5	1
होशंगाबाद	14	1	कटनी	6	
राजगढ़	10		छिन्दवाड़ा	15	
हरदा	6		सिवनी		
विदिशा	13	2	नरसिंहपुर	2	
रायसेन	5		बालाघाट	3	
इन्दौर	3		मझडलाा	2	
झाबुआ	3		डिण्डोरी	5	
धार		1	रीवा	17	
खरगोन	3		सतना	5	
बड़वानी	11		सीधी	6	
खण्डवा	2	1	शहडोल		
उज्जैन	7	2	उमरिया	5	
रतलाम	6		ग्वालियर	7	
देवास	7		भिण्ड	7	1
शाजापूर	3	2	मुरैना	1	1
मन्दसौर	2		श्योपुरकला	2	
नीमच	1		गुना	11	1
सागर	22	1	दतिया	7	1
दमोह	2		शिवपुरी	14	
पन्ना	3		**योग**	**281**	**15**

ग्राम पंचायतों पर एक नजर

जिला	सरपंच	पंच
भोपाल	64	875
सीहोर	149	2094
बैतूल	185	2712
होशंगाबाद	129	1826
राजगढ़	189	2546
हरदा	60	2546
विदिशा	190	2571
रायसेन	168	2171
इन्दौर	106	413
झाबुआ	209	2889
धार	223	3390
खरगोन	181	2691
बड़वानी	129	1827
खण्डवा	198	2552
उज्जैन	170	2492
रतलाम	110	1229
देवास	154	2204
शाजापुर	174	2441
मन्दसौर	142	2260
नीमच	73	1163
सागर	270	3521
दमोह	151	1993
पन्ना	126	1754
छतरपुर	186	2832
टीकमगढ़	157	2258
जबलपुर	190	2112
कटनी	141	1579
छिन्दवाड़ा	287	3360
सिवनी	206	2368
नरसिंहपुर	142	1765
बालाघाट	224	3695
मण्डला	141	2180
डिण्डोरी	123	1502
रीवा	274	3997
सतना	234	3306
सीधी	225	3306
शहडोल	229	2831
उमरिया	75	765
ग्वालियर	93	1359
भिण्ड	154	2387
मुरैना	153	2487
श्योपुरकला	77	1226
गुना	239	3106
दतिया	63	1334
शिवपुरी	206	2474

पुरूषों के हाथ की कठपुतली न बनें

सौमित्र राय

पंचायती राज व्यवस्था के दायरे में ही महिलाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वह अपनी बात कह सकती हैं। घर और बाहर दोनों ही जगह महिला पर पुरुषों के एकाधिकार को खत्म करने और उन्हें विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के मकसद से ही बनाई गई है यह पंचायती राज व्यवस्था ।

पांचवी तक पढ़ी – लिखी सुशीला को शादी के बाद फुरसत ही नहीं मिली कि, कि वह अपने और गांव के विकास के बारे में कुछ सोच सके। रोज सुबह पांच बजे उठना, घर की सफाई, पति के लिए चाय बनाना और फिर खाना। दोपहर में भी कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और रात का खाना बनाना। इन सारे काम करने के बाद बहुत थक जाया करती थी सुशीला ।

रात को पति की सेवा करना भी उसके काम का हिस्सा था। पति मनोहर की हर बात में उसे अपनी हां मिलानी पड़ती थी वरना पिटाई भी हो जाती थी। सुशीला और मनोहर के दो बच्चे हैं लता और किशन। लता अब 12 साल की है और घर के काम में मां की बहुत मदद करती हैं ।

पंचायती–राज व्यवस्था

- महिला को आत्मनिर्भर होने की आजादी देती हैं ।
- अपने गांव, वार्ड या बस्ती की व्यवस्था खुद चलाने का हक देती हैं ।
- महिलाओं को पंचायत में शामिल होने का कानूनी अधिकार देती है ।
- विकास की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी हक प्रदान करती है

यूं बदली सुशीला

बेटे किशन की शादी के बाद धर में जब बहू आई तो सुशीला पर काम का बोझ कुछ हल्का हुआ। और वह गांव के महिला मंडल की बैठकों में जाने लगी इस बीच गांव में पंचायत के चुनाव हुए और सुशीला को महिला आरक्षित वार्ड से पंच चुनी गयी । अब सुशीला को पंचायत की बैठक में जाना पड़ता था । लेकिन वहां भी वह वही करती, जो उसका पति मनो. हर उसे सिखाता। पढ़ी–लिखी सुशीला को यह ठीक नही लगा । वह सोचती कि–

- गांव में एक महिला डाक्टर होनी चाहिए ।
- आठवीं तक स्कूल बन जाए तो लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े।
- स्वास्थ्य केंद्र में दवादयों का स्टाक . होना चाहिए, ताकि जरूरतमंदो को दवा की कमी न

कैसे बदलेगी व्यवस्था ?

- घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई उनके शादी–ब्याह और अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद फैसला करें।
- अपने गांव की बेहतरी के बारे में सोचें और दूसरी महिलाओं को भी अपने विचारों से सहमत कराने की कोशिश करें।
- पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में अपनी बात जरूर कहें ।
- गांव के विकास में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं ।

हो । मगर सुशीला के इन सपनों को पूरा करने वाला कोई नहीं था। पति से कहती तो वह उसे पीटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गांव की तीन चौथाई महिलाओं के

समर्थन से उसने ग्राम सभा की बैठक बुलाने की मांग की। आखिरकार बैठक हुई और सुशीला ने वहां अपना प्रस्ताव पेश किया । प्रस्ताव सभी को पंसद आया और सुशीला की जमकर वाहवाही हुई। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था के दायरे में ही महिलाओं को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वह अपनी बात कह सकती हैं। घर और बाहर दोनों ही जगह महिला पर पुरूषों के एकाधिकार को खत्म करने और उन्हैं विकास की प्रक्रिया में शामिल करने के मकसद से ही बनाई गई है यह पंचायती राजव्यवस्था। इसमें महिलाओं के आरक्षण की भी व्यवस्था है । गांव में विभिन्न जाति, वर्ग और समुदाय का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं । इसका मतलब यह है कि एक ही जाति, बिरादरी के तीन वार्डो में से एक वार्ड पर महिला पंच होगी। तो फिर क्यों न आप भी सुशीला बाई से प्रेरणा लेकर पंचायती राज प्रक्रिया में भाग लें । आज सुशीला की हिम्मत और समझदारी की प्रशंसा उसका पति भी करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लाख विरोधों के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उसने गांव की महिलाओं का समर्थन प्राप्त किया और उनकी मदद से ही ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवाया । सबको साथ लेकर चलने की सुशीला की नीति से ही उसकी ताकत बढ़ गई। अगर वह अकेले ही गांव का नक्शा बदलने की कोशिश करती तो शायद सफल नहीं हो पाती। पंचायती राज में औरत और मर्द दोनों को बराबरी का हक प्राप्त है। उन्हें चुनाव लड़ने और वोट देने का बराबर अधिकार दिया गया है। ऐसे में जरूरत है कि एक महिला होने के नाते आप घर – परिवार और गांव के विकास के फैसलों में अपनी

" कांच की हरी चूड़ी जंचे म्हारा हाथ मा "

कांच की हरी चूड़ी जंचे म्हारा हाथ मा
कांच की हरी चूड़ी जंचे म्हारा हाथ मा

सरपंच दहाड़की का झगड़ा हुआ डेम का बीच मा
चबर–चबर मत कर ओय सरपंच, फावड़ा छे म्हारा हाथ मा
कांच की हरी चूड़ी जंचे म्हारा हाथ मा

बीडीओ दहाड़की का झगड़ा हुआ ब्लाक का बीच मा
चबर–चबर मत कर ओय बीडीओ, महाइती छे म्हारा हाथ मा
कांच की हरी चूड़ी जंचे म्हारा हाथ मा

कलेक्टर दहाड़की का झगड़ा हुआ जिला का बीच मा
चबर–चबर मत कर ओय कलेक्टर,पहूंच छे म्हारा हाथ मा
कांच की हरी चूड़ी जंचे म्हारा हाथ मा

कमल व पंजा का झगड़ा हुआ डेम का बीच मा
चबर–चबर मत कर ओय नेता, संगठन छे म्हारा साथ मा
कांच की हरी चूड़ी जंचे म्हारा हाथ मा

सीमा प्रकाश
डही,धार

पुरूष एकाधिकार को तोड़ती महिलाएं

✍ सौमित्र राय

आज भी बहुत से लोग यह जानते हैं कि राजनीति में महिलाओं के आगे आने का औचित्य ही क्या है? क्या वे इस मामले में पुरूषों से बेहतर हैं ? क्या महिलाएं घर संभालने के साथ एक बड़े गांव की व्यवस्था को भी संभाल सकती हैं ? और क्या औरतें ऐसे कार्यो के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होती हैं ?

आज से करीब तीन दशक पहले की बात करें तो न सिर्फ गांवों में, बल्कि शहरों तक में महिलाओं को घर की चहारदीवारी में सिमटी घरेलू कामकाज करने वाली औरत के रूप में देखा जाता था । महीने में एकाध बार पति के साथ बाजार घूमने जाना, या पूरे परिवार के साथ घूंघट ओढ़कर बाहर निकलकर किसी रिश्तेदार से मिलने जाने तक ही सीमित थी एक औरत की दिनचर्या। हर बात में पति या परिवारजनों पर निर्भर थी महिलाएं । लेकिन अब हालात बदले हैं। लड़कियां स्कूल –कालेज जाने लगी हैं और महिलाएं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए नौकरी भी कर रही हैं। इस बदलाव ने हालांकि शहरों में तो महिलाओ पर पुरूष के एकाधिकार को तोड़ा है, मगर गांवों में हालत नहीं सुधरी है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए पंचायती राज कानून के माध्यम से महिला आरक्षण की व्यवस्था लागू की।

इसके बावजूद यह बहस अब भी जारी है, कि राजनीति में महिलाओं के आगे आने का औचित्य ही क्या है? क्या वे इस मामले में पुरूषों से बेहतर है? क्या महिलाएं घर संभालने के साथ एक बड़े गांव की व्यवस्था को भी संभाल सकती है? और क्या औरतें ऐसे कार्यों के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत होती है? वैसे तो पंचायती राज के पिछले अनुभवों ने ये साफ कर दिया है, कि महिलाएं घर में चूल्हे–चौके से लेकर गांव की पंचायत तक का काम बखूबी संभाल सकती हैं। लेकिन फिर भी समाज में पुरूषों का नजरिया अभी भी एक कमजोर औरत का ही है । कभी पति की रोक–टोक, ताने देना मारना–पीटना तो कभी घर के बाहर महिलाओं को शक की नजर से देखना, उस पर बदनामी का आरोप लगाना आम है। शायद इसलिए, क्योंकि महिलाओं ने जब भी चुनावी राजनीति में कदम रखा है, सांप्रदायिकता, जाति और भेदभाव के बगैर उन्होंने विकास व सामाजिक सुधारों को प्रमुखता दी । तमिलनाडु के विपुट्टम, गांव की दलित सरपंच रंगामायकी ने न केवल गांव में शराबबंदी करवा दी, बल्कि एक दलित लड़की की अंतरजातीय शादी करवाकर पंचायत का विरोध मोल ले लिया। खूब विरोध हुआ और कलेक्टर ने रंगामायकी को सरपंच पद से हटा दिया। पर रंगामायकी कहां रुकने वाली थी। उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार जीत उसकी ही हुई । रंगामायकी फिर से सरपंच बन गई।

कभी पति की रोक–टोक, ताने देना मारना–पीटना, तो कभी घर के बाहर महिलाओं को शक की नजर से देखना, उस पर बदनामी का आरोप लगाना आम है। शायद इसीलिए, क्योंकि महिलाओं ने जब भी चुनावी राजनीति में कदम रखा, सांप्रदायिकता जाति और भेदभाव के बगैर उन्होंने विकास व सामाजिक सुधारों को प्रमुखता दी।

रंगामायकी के उदाहरण से साफ है कि पंचायतों की बागडोर यदि महिला सरपंचों, पचों के हाथों सौंपी जाए तो वे कितना–कुछ कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर –

- गांव की स्वास्थ्य सेवा, पानी और सफाई, शराबबंदी घर में महिलाओं के साथ मारपीट को रोकना और इन मुद्दों पर महिलाओं को अपना विरोध व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना।
- गांव में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- महिला मंडल और स्वसहायता समूह के जरिए महिलाओं में आत्मनिर्भरता व रोजगार को बढ़ावा देना ।
- महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, जैसे सुरक्षित प्रसव, कुपोषण और सीमित परिवार के बारे में फैसले का हक सिर्फ महिलाओं को ही दिलाना।
- और सबसे प्रमुख काम महिलाओं के प्रति समाज की पुरूष प्रधान पिछड़ी हुई सोच को बदलना और दूसरी महिलाओं को भी आगे लाकर सामाजिक विकास व न्याय के पक्ष में आवाज उठाने के लिए प्रेरित करना।

दरअसल यें बातें उन लोगों को अच्छी नहीं लगतीं, जो अपने स्वार्थ

के लिए औरतों को दबा हुआ, कमजोर और पिछड़ता देखना चाहते हैं। रामगढ़ जिले में बरमकेला ब्लाक के सेल्होना गांव की महिला सरपंच द्रोपदी बाई को सरेआम निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। सरपंच को जाति से बहिष्कृत करने तक की सजा झेलनी पड़ी, पर वह अपनी बात पर अडिग रही । आखिरकार भ्रष्ट पंचायत सचिव को बदल दिया गया। सिर्फ घर में ही नहीं, बल्कि पंचायती राज के मामलों में भी महिलाओं के साथ किस कदर असहयोग किया जाता है, इसका उदाहरण सुखाया पंचायत की सरपंच भक्ति बाई की कहानी से पता चलता है । अनपढ़ भक्ति बाई चुनाव जीतने के बाद उपसरपंच के हाथ की कठपुतली बन गई । बाद में जमीन को लेकर हुए एक झगड़े में आदिवासी का पक्ष लेने पर उपसरपंच की विरोधी बन गई । अपमानित उपसरपंच ने बदला लेने के लिए सरपंच के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव बनवाया और बेचारी अनपढ़ भक्तिबाई ने अपने ही खिलाफ तैयार अविश्वास प्रस्ताव पर अंगूठा लगा दिया । फिर क्या था, पंचायत बैठी और सारे पुरूष पंचों ने भक्तिबाई का विरोध करते हुए उसे पद से हटाकर एक और अनपढ़ महिला को सरपंच चुन लिया ।

आखिर अकेली कब तक लड़ेगी महिला?

पंचायती राज के अब तक के अनुभवों से हमें महिलाओं की उन्नति के रास्ते में निम्नलिखित कठिनाईयां देखने को मिलती हैं–

- हर महिला पंचायत प्रतिनिधि की पहचान उसके पति या परिवारजनों से जोड़कर देखी जाती है। पंचों या सरपंचों के रूप में महिला के हर कदम के बारे में फैसला लेने का हक पति या परिवारजनों का ही माना जाता है । विरोध करने पर महिला को मिलती है प्रताड़ना ।
- पंचायत की बैठकों में गांव के बाकी पुरूषों व बुजुर्गों की मौजूदगी में महिला पंच, सरपंच को बोलने नहीं दिया जाता । उसका काम सिर्फ पुरूषों की हां में हां मिलाना भर रह जाता है । जो महिला इसका विरोध करती हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है।
- महिलाओं की अभिव्यक्ति और फैसले लेने की स्वतंत्रता में उनकी साक्षरता का बहुत बड़ा योगदान है । साक्षर न होने पर अनपढ़ महिला पंचायत के हर छोटे–बड़े फैसले में किसी पुरूष सदस्य पर निर्भर रहती है। जब तक वह चाहे, महिला अपने पद पर निर्भर रहती है। लेकिन विरोध करते ही महिला पर भ्रष्टाचार, बदनामी का आरोप लगाया जाता है ।
- गांव में भ्रष्टाचार, जुआखोरी, शराबबंदी और लड़कियों की पढ़ाई के मामले में फैसले का अधिकार परंपरागत रूप से पुरूषों का ही माना जाता रहा है। लेकिन अगर कोई महिला सरपंच इन मामलों में हस्तक्षेप करे तो उसे पद से हटाने की तैयारी शुरू हो जाती है ।
- महिला पंचायत प्रतिनिधियों को अभी भी घर और पंचायत, दोनों पर बराबरी से ध्यान देना पड़ रहा है। घर के काम का बोझ ही इतना होता है कि वह एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में अपनी दोहरी भूमिका के लिए ठीक से समय नहीं दे पाती । इसके कारण महिला की अनुपस्थिति में पंचायत पदाधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार जैसे षड़यंत्र में फंसाने की संभावना ज्यादा रहती है ।
- ऐसे बहुत कम मामले देखने में आए हैं, जिसमें पति या परिवार के सदस्यों ने महिला पंच या सरपंच के काम की जिम्मेदारी ली हो, या फिर उसे सहयोग प्रदान किया हो।
- पंचायत के नियमों–कानूनों की जानकारी का अभाव और विकास के लिए दूर–दराज के इलाकों, या फिर शहरों में सरकारी दफ्तरों में अर्जी लगाना भी गांव की महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है ।

तमिलनाडु के विपुट्टम, गांव की दलित सरपंच रंगामायकी ने न केवल गांव में शराबबंदी करवा दी, बल्कि एक दलित लड़की की अंतरजातीय शादी करवाकर पंचायत का विरोध मोल ले लिया। खूब विरोध हुआ और कलेक्टर ने रंगामायकी को सरपंच पद से हटा दिया। पर रंगामायकी कहां रुकने वाली थी। उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार जीत उसकी ही हुई। रंगामायकी फिर से सरपंच बन गई। रंगामायकी के उदाहरण से साफ है कि पंचायतों की बागडोर यदि महिला सरपंचों, पचों के हाथों सौंपी जाए तो वे कितना–कुछ कर सकती हैं।

घर की चौखट को लांधने वाली महिलाओं का विरोध कोई नई बात नहीं है। पंचायती राज के दौरान पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं देखने में आई हैं ।

जब निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को घर–परिवार और समाज का झेलना पड़ा है । मगर फिर भी महिलाओं ने पंचायत प्रतिनिधि के रूप में विकास के नए मानदंड की तय किए हैं, जिनसे पंचायती राज की राजनीति में उनकी उपयोगिता स्वयं ही साबित हो जाती है ।

विकास से वंचित महिलाएं

राजेन्द्र बंधु

पंचायतों के निर्णयों, कामकाज और वित्तीय स्थिति जैसे सभी पहलुओं को परखने से साबित होता है कि पंचायतों में लागू योजनाओं के लाभ से कई महिलाएं वंचित है। उनकी तरक्की और रोजगार के विशेष कार्यक्रम पंचायतों द्वारा नहीं बनाए गए। सरकार द्वारा लागू कई योजनाएं भी नियमों की बाध्यता के चलते अपना असर नहीं दिखा पा रही हैं। पटरानी गांव की छोटीबाई तो इसका एक उदाहरण मात्र है। असल में कई महिलाएं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर निराश हो जाती हैं। अतः पंचायत राज को लोकहितकारी बनाने के लिए उसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार जैसे कार्यक्रमों को ज्यादा जगह देनी होगी, साथ ही पर्याप्त वित्तीय प्रावधान भी।

मध्यप्रदेश के देवास जिला मुख्यालय से सवा सौ किलोमीटर दूर बसे गांव पटरानी की छोटीबाई पिछले दो सालों से बैंक का चक्कर लगा रही है। उसे "राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना" की राशि का इंतजार है। इस योजना के अंतर्गत गांव के गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर दस हजार रूपए की राशि सरकार द्वारा राहत हेतु दी जाती है। आदिवासी समुदाय की पैंतीस वर्षीय छोटीबाई भूमिहीन होकर मजदूरी पर निर्भर है। पति शिवलाल की मृत्यु के बाद तीन बच्चों के भरण–पोषण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई है। सरपंच और गांव के कुछ लोगों ने उसे इस योजना के बारे में बताया और उन्हीं के कहने पर छोटीबाई ने समीपस्थ ग्राम हरणगांव की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाया, जिसमें शासन द्वारा इस योजना की राशि जमा की जाना है। आश्चर्य की बात है कि 14 जुलाई 2001 को खुले इस बचत खाता क्रमांक 1921 में आज तक न तो कोई राशि आई और न ही इस बारे में छोटीबाई को कोई जानकारी मिली। वह लगातार पटरानी से हरणगांव तक 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचती। वह बताती है कि "बैंक वाले कहते हैं कि खाते में पैसा नहीं आया । इस बारे में सरपंच से पूछो तो सरपंच कहता है कि बैंक जाकर पता लगाओ।" इस तरह छोटीबाई पंचायत और बैंक के बीच राहत राशि के इंतजार में झूल रही है। किन्तु जब इस लेखक द्वारा ग्राम पंचायत के दस्तावेजों और योजना के नियमों की पड़ताल की गई तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि छोटीबाई को यह राशि मिलेगी ही नहीं, क्योंकि गांव के गरीबों की सूची में उसका नाम नहीं है। छोटीबाई नहीं जानती कि सरकारी रिकॉर्ड में वह गरीब नहीं है। नतीजतन छोटीबाई का बैंक में खाता खुलवाना और बैंक के चक्कर लगाना, सब निरर्थक ही रहा। आश्चर्य की बात है कि सरपंच और पंचायत सचिव ने भी छोटीबाई को सही जानकारी देने की जरूरत नहीं समझी।

यह घटना पंचायतों के तौर–तरीकों को उजागर करती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों, वंचितों और महिलाओं को भुगतना पड़ता है। पटरानी गांव के लोगों से चर्चा करने पर ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं, जिनमें जरूरतमंद लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे। इसी गांव की चर्मकार समुदाय की शांताबाई के पति की मृत्यु तीन साल पहले हुई थी। मजदूरी पर निर्भर इस भूमिहीन महिला का नाम गरीबी की सूची में न होने से वह इस योजना से वंचित रही। इसी गांव की नबूबाई को भी पति की मृत्युपरांत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ नहीं मिल पाया। इस सबके चलते ग्रामवासियों की यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि "सरकारी योजनाएं तो सिर्फ प्रचार के लिए ही होती हैं, गरीबों को उनसे कोई फायदा नहीं मिलता।"

जाहिर है ज्यादातर सरकारी योजनाएं गरीबों एवं महिलाओं के विकास के लिए होती हैं, जिनका क्रियान्वयन पंचायतों द्वारा किया जाता है। इनमें बालिका समृद्धि योजना, आयुष्मति योजना, मातृत्व सहायता योजना एवं विधवा पेंशन योजना तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही होती हैं। यह अध्ययन का विषय है कि उक्त योजनाएं

जरूरतमंद महिलाओं को कितना लाभ दे पाई। पटरानी गांव का यह उदाहरण इन योजनाओं के क्रियान्वयन की असली तस्वीर प्रस्तुत करता है । यहां 225 परिवारों में से मात्र 42 परिवार ही गरीबी रेखा की सूची में शामिल हैं। जबकि यहां बसे अनुसूचित जाति के 80 और आदिवासी समुदाय के 70 परिवारों में से ज्यादातर भूमिहीन है। अनुमान है कि पटरानी गांव में ऐसे परिवारों की संख्या 100 से अधिक है, जो गरीबी रेखा की सूची में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। अनुसूचित जाति के श्रीराम हरियाले यहां के सरपंच है। कहा जाता है कि वह गांव के कतिपय प्रभावशाली लोगों की सलाह से काम करते हैं, जिसके चलते पंचायत की योजनाओं का वंचितों व महिलाओं के हितों में क्रियान्वयन नहीं हो पाता।

इस पंचायत में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना मुख्य रूप से लागू है। शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के मामले में यहां स्थिति निराशाजनक रही है। खासकर महिला हितों की योजनाएं तो नदारद पाई गई है। पिछले पांच सालों में यहां महिला हितों की तीन खास योजनाओं (मातृत्व सहायता योजना, बालिका समृद्धि योजना एवं आयुष्मति योजना) में से किसी का भी लाभ गांव की एक भी महिला को नहीं मिला। इस बात की पुष्टि पंचायत के वार्षिक बजट से भी होती है। वर्ष 2002–03 के लिए पंचायत द्वारा पटरानी गांव के प्रस्तावित दो लाख साठ हजार रूपये के बजट में उक्त योजनाओं पर एक रुपया भी नहीं रखा गया। इंदिरा आवास योजना के अस्सी हजार के अतिरिक्त सड़क व नाली निर्माण के कार्यों के लिए पचास प्रतिशत से ज्यादा राशि प्रस्तावित की गई। यहां की फुलईबाई और भागवंतीबाई कहती है कि "गरीबी रेखा की सूची गलत बनने से यहां कोई योजना सही तरीके से नहीं चल रही है। यहां विधवा–निराश्रित पेंशन एक भी महिला को नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं कि गरीबी रेखा की सूची फिर से बने और उसमें गांव के सभी गरीबों के नाम लिखे जाएं।" सार्वजनिक सेवाओं के मामले में भी यहां स्थिति निराशाजनक है। स्वास्थ सेवा की हालत यह है कि कई गर्भवती महिलाओं को टिटेनस के टीके भी नहीं लगे।

यह सच है कि पंचायती राज सत्ता के विकेन्द्रीकरण की एक खास घटना है, जिसमें समाज के वंचित तबके और महिलाओं को हिस्सेदारी दी गई है। किन्तु इससे आम वंचितों और महिलाओं के जीवन पर कितना असर हुआ, यह अध्ययन का विषय है। यह देखा गया कि सुदूर बसे गांवों में महिला हितों की योजनाएं प्रभावकारी तरीके से लागू नहीं हो पाई हैं, जबकि शहरों व कस्बों के नजदीक सड़कों से जुड़ी पंचायतों में स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर पाई गई है। उदाहरण के लिए देवास जिले के खातेगांव ब्लाक मुख्यालय के समीप बसे गांव पाड़ियादेह के 90 परिवारों में से 44 परिवारों के नाम गांव की गरीबी रेखा की सूची में दर्ज हैं। यहां अब तक 30 लोगों को बालिका समृद्धि योजना का लाभ दिया गया। इसी तरह इसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजनास में 400 परिवारों में 225 परिवार गरीबी रेखा की सूची में शामिल हैं। इनमें से 18 महिलाओं को मातृत्व सहायता योजना और 46 बालिकाओं को बालिका समृद्धि योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा 34 महिलाओं को विधवा–निराश्रित पेंशन प्राप्त हो रही है, जबकि पटरानी और उसके आसपास की पंचायतों में इन योजनाओं की प्रगति लगभग शून्य है।

पंचायतों की वित्तीय स्थिति में भी महिला विकास संबंधी योजनाओं के प्रति पंचायतों की उदासीनता नजर आती है। ग्राम पंचायत अजनास के खर्च पर नजर डालें तो पाते हैं कि वर्ष 2001–02 में 9,18,800 रुपए में से महिला शिक्षा व स्वास्थ्य पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। अलबत्ता इंदिरा आवास योजना और वृद्धावस्था पेंशन पर करीब 38 प्रतिशत और सड़क व नाली निर्माण जैसे कार्यो पर 36 प्रतिशत राशि व्यय की गई। इसी तरह अन्य ग्राम पंचायतों में भी महिला विकास के कार्यो पर कोई राशि व्यय नहीं हुई। इन उदाहरणों से पंचायतों के बजट में महिलाओं की हैसियत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

गढ़ी, बागली, जिला–देवास म.प्र. – 455227
फोन– 07271–275173

महिला नेतृत्व की मिसाल बनी सरपंच उकमियाबाई

" उकमियाबाई पूर्ण रूप से अशिक्षित महिला हैं, परन्तु कार्यक्षेत्र में उतनी ही दक्ष हैं। किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। जब से सरपंच चुनी गयी हैं, तब से जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करती आयी हैं। "

✍ राजकली पटेल

पचपन वर्षीय श्रीमती उकमियाबाई चौधरी (हरिजन) स्थायी निवासी ग्राम इमलिया, ग्राम पंचायत इमलिया विकासखंड पटेरा जिला दमोह, मध्यप्रदेश की है। जिला मुख्यालय से पंचायत की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। पहली बार सन 2000 में उकमियाबाई ग्राम सरपंच चुनी गयी। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल छः गांव आते हैं और नौगवां, कजरा, कौवाखोह, इमलिया, जीर कनवई। उकमियाबाई पूर्ण रूप से अशिक्षित महिला हैं, परन्तु कार्यक्षेत्र में उतनी ही दक्ष हैं। किसी भी काम में पीछे नहीं है । जब से ये सरपंच चुनी गयी हैं, तब से जनता के हित में और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करती आयी हैं। ये किसी भी कार्य में पीछे नहीं है । वे गांव के विकास में अग्रणी व सदैव तत्पर रहती है। अशिक्षा कहीं भी परेशानी का कारण नहीं बनी है । अभी तक सभी बैठक में आम सभा में बराबर की हिस्सेदारी करना, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को बैठक, ग्राम सभा में आकर अपनी समस्याओं को उठाने के लिए प्रेरित करना उनका लक्ष्य रहा है । इस पंचायत में पेयजल के साथ निस्तार की भारी परेशानी थी । परन्तु जब से उकमिया बाई सरपंच बनी हैं, सभी गांव में तालाब निर्माण, घाट निर्माण, तालाब गहरीकरण, सड़क निर्माण का कार्य पूरा हुआ है। इस गांव में ग्राम पंचायत नहीं है तो सरपंच महोदय स्कूल के अवकाश वाले दिन सभा, बैठक करती है। उनका कहना है कि इसके बिना काम चल जाता है, परन्तु पानी की समुचित व्यवस्था न होने से समस्त पंचायतवासियों को परेशानी होती थी। इसका निदान होने से हम सभी ग्रामीण जन खुश हैं। यह कथन ग्राम के वयोवृद्ध श्रीराम लखन दादा जी का, जो सरपंच की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हमारी पंचायत में बहुत अच्छा काम होता है। सरपंच श्रीमती उकमिया बाई को पंचायत के विकास को लेकर अनेक परेशानियां हुई है, परन्तु वे सभी परेशानियों का सामना करते हुये उन्होंने विकासीय कार्यक्रम संचालित किए हैं । वर्तमान में संपन्न होने जा रहे चुनावों के प्रति इनका नजरिया साफ है । उनका कथन है कि पिछली बार हरिजन सीट होने की वजह से मुझे निर्विरोध चुन लिया गया था। यदि इस बार भी हरिजन सीट होने पर मुझे सेवा करने का मौका दिया जायेगा तो जैसे मैं पूर्व में कार्य करती आयी हूं, वैसा ही सहयोग एवं सहमति के कार्य करती रहूंगी। जब मैं पहली बार सरपंच चुनी गयी थी, तो मुझे काम करने का अनुभव नहीं था, परन्तु एकता परिषद की क्षेत्रीय इकाई के तत्वाधान में महिला नेतृत्व विकास कार्यशाला में मुझे बुलाया गया और दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। तब से मैं सतत रूप से महिला विकास को प्राथमिकता देती आ रही हूं और आगे भी विकास एवं महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए वचनबद्ध हूं।

गवाहों से महरुम एक सच

पृष्ठ 15 का शेष

तभी कारखाने के बाहर से पुलिस व अन्य लोग अन्दर आए और उन्होंने रिश्वत लेने का मामला बना लिया ।" प्रेमबाई की इन बातों की पुष्टि उस समय उपस्थित अन्य बीड़ी मजदूरों से भी की जा सकती है। प्रेमबाई बताती है कि "साजिश के तहत कुछ लोगों ने इस मामले को मजबूत बनाया। इसके लिए उन्होने गवाह और सबूत गढ़ने की कोशिश की और कोर्ट में वही साबित किया जो वे चाहते थे।" इस तरह पंचायत में भ्रष्टाचार के मामले में प्रेमबाई तो दोषी सिद्व हो गई, किन्तु बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त कई लोग कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। पंचायत इकाइयों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार जगजाहिर होने के बावजूद वे सबूत और गवाहों के अभाव में दोषी सिद्व नहीं हो पाते। जबकि कमजोर तबकों और महिलाओं द्वारा पंचायतों में अपने अधिकारों का उपयोग करने के बदले उन पर आरोप थोपना आम बात हो गई है। प्रेमबाई की घटना इसका ठोस सबूत है। यह सही है कि पंचायत राज में महिलाओं और दलित समुदाय की भागीारी एक क्रांतिकारी कदम है । किन्तु पिछले दस सालों का अनुभव बताता है कि सिर्फ संवैधानिक परिवर्तन से ही ये वर्ग राजनैतिक रूप से सशक्त नहीं होंगे। बल्कि उन्हें कई दिक्कतों से जूझने और खामियाजा भुगतने को विवश होना पड़ता है, क्योंकि पूरे तंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जहां इन्हें जरूरी मदद मिल सके।

कम्मो बाई की परेशानी

विशाल दुबे

गांव में पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हुई तो कम्मो बाई के समाजवाले उसके पास आए और बोले–तुम्हें सरपंच के चुनाव में खड़े होना है, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेहनत–मजदूरी से अपना पेट भरने वाली अनपढ़ कम्मो बाई पहले तो घबराई, फिर सोचा कि जब पूरा समाज उसके साथ है तो चिंता कैसी ? कम्मो बाई जीत गई, सरपंच बन गई । पुराना सरपंच इस बार उपसरपंच बना, लेकिन अनपढ़ कम्मोबाई हिसाब–किताब नहीं समझ पाती थी, लिहाजा उसने सारा कामकाज पंचायत सचिव को सौंप दिया। हालांकि कम्मोंबाई ने गांव की सड़क बनवाई, स्कूल भवन की मरम्मत भी कराई, पर खर्च का हिसाब–किताब नहीं रखा और न ही रसीद पास रखी। एक दिन पंचायत की बैठक में उस पर हिसाब में गड़बड़ी का आरोप लगा और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। फिर क्या था, कम्मोबाई की सरपंची गई। कम्मोबाई की कहानी से यह सबक मिलता है कि यदि पंचायत का कामकाज चलाना है तो कायदे–कानून भी सीखने होंगे ।

लेकिन असल बात यहीं पर आकर खत्म हो नही जाती। जब एक महिला पंच या सरपंच जैसे पद पर चुनी जाती है तो वह पुरूष प्रधान संकुचित विचारधारा के लोगों की आखों में नहीं सुहाती। ऐसे लोगों का महिलाओं के प्रति नजरिया कुछ इस तरह का होता है–

- औरत जात है, क्या कर सकेगी?
- औरतों की अक्ल तो उनकी चोटी में होती है।
- महिलाएं नाजुक होती हैं। वे घर के भीतर का काम कर सकती हैं। गांव के काम के लिए बाहर दौड़–भाग करना उनके बस में नहीं है।
- महिलाओं को पराए मर्दो से बात नहीं करनी चाहिए । पंचायत की बैठक में तो मर्द भी आते हैं । ऐसे में एक महिला उन सबके सामने बैठेगी तो उस पर बदनामी का दाग लग सकता है ।
- पंचायत के काम करवाने के लिए कई बार बड़े सरकारी अफसरों बाबुओं से भी मिलना पड़ता है । एक औरत यह सब काम कैसे कर सकती है?
- औरत अगर गांव की पंचायत का काम देखेगी तो पति और बच्चों की देखरेख कौन करेगा ? दरअसल यह सब ऐसे सवाल हैं, जिनका इस्तेमाल महिलाओं को घर की चहारदीवारी में बंद रखने के लिए किया जाता रहा है, मगर कम्मोबाई जैसी कई महिलाओं ने इन बंधनों को तोड़ने की हिम्मत दिखाई है । भले ही इसके एवज में उन्हें कई परेशानियां भी झेलनी पड़ी हों। मिसाल के लिए जोधाबाई को ही लें। सरपंच बनने के बाद घर के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारी उसके पति ने काफी हद तक उठा ली थी । दसवीं पास जोधाबाई, एक शांत मिलनसार महिला थी । अपने गांव का विकास उसका सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उसने रात–दिन एक कर दिया । गली, सड़क, चबूतरा, स्कूल की छत की मरम्मत, सारे काम उसने करवाए। गांव के लोग उसे खूब सम्मान देते। पर यही बात गांव के अन्य पुरूष पंचों को अच्छी नहीं लगी । सबने मिलकर उसे हटाने की योजना बनाई और एक दिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जोधाबाई की सरपंची छीन ली गई। मगर इन सबके बावजूद जोधाबाई की हिम्मत नहीं टूटी । पांच साल बाद पंचायत के चुनाव फिर हुए और वह पहले से भी ज्यादा वोटों से जीतकर दुबारा सरपंच बन गई । अब जोधाबाई कहीं ज्यादा समझदार है, क्योंकि पिछली बार का सबक उसे याद है। जोधाबाई ने अपनी काबिलियत को साबित किया है। आज गांव का हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है, क्योंकि वह पुरूषवादी समाज के दबाव के आगे झुकी नहीं। लड़ती रही और आखिरकार जीत उसी की हुई।

कम्मो बाई सरपंच बन गई। लेकिन अनपढ़ कम्मोबाई हिसाब–किताब नहीं समझ पाती थी, लिहाजा उसने सारा कामकाज पंचायत सचिव को सौंप दिया। एक दिन पंचायत में उस पर हिसाब में गड़बड़ी का आरोप लगा और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया।

कम्मोबाई अगर अनपढ़ थी, तो जोधाबाई दसवीं तक पढ़ी–लिखी एक समझदार महिला थी । उसे यह अच्छी तरह मालूम था कि गांव के विकास के लिए उसके द्वारा किए गए काम और उसकीं ईमानदारी और मिलनसारिता ही एक दिन उसका सहारा बनेगी । पंचायत के कामकाज के सारे नियम–कायदे उसे मालूम थे, लेकिन अपने ही गांव के कुछ पुरूषों की दगाबाजी का शिकार हुई जोधाबाई, मगर गांव वालों के समर्थन ने उसे दुबारा सरपंच बना दिया।

कैसे हो साकार आदर्श गांव, अपनी सरकार

सभी जानते हैं कि आजादी से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज हमारे देश के लोंगों को बेवकूफ और कमजोर समझते थे और इसीलिए सरकार में उनकी हिस्सेदारी नही के बराबर थी । अंग्रेज सोचते थे कि भारत में लोगों को कामकाज चलाना नहीं आता ।

लेकिन बाद में कुछ अंग्रेज इतिहासकारों को पता चला कि भारत के गांवों में पहले कामकाज का निपटारा वहां की पंचायतें ही किया करती थी । बुजुर्गों के मार्गदर्शन में गांव का शासन ग्रामीणों के ही हाथ में रहा । बस फर्क सिर्फ इतना था कि ग्राम पंचायतों को न तो इतने अधिकार थे, और न ही गांव के विकास का फैसला लेने की आजादी थी । यही वजह रही है कि–

- गांवों की समस्याएं ज्यों कि त्यों बनी रहीं ।
- पानी, सड़क, बिजली शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग सरकार के भरोसे बैठे रहे ।
- गांव के विकास में ग्रामीणों की भागीदारी नहीं रही ।
- लोगों का अपनी ताकत पर से भरोसा उठ गया और तब यह तय किया गया, कि यदि हर गांव को एक आदर्श ग्राम बनाना है तो वहां की पंचायतों को कानूनी रूप से मजबूत कर उन्हें और अधिकार देने होंगे । इसके लिए देश के कानून में 73 वां और 74वां बदलाव कर पंचायती राज कानून की नींव रखी गयी । पंचायती राज कानून काफी कुछ गांधीजी के आदर्श गांव की कल्पना से मेल खाता है ।

क्या है आदर्श गांव का सपना?

- गांव में पंचायत का राज हो, सरकारी अफसरों , नेताओं का नहीं।
- पंचायत के पास शासन के पूरे अधिकार हों ।
- हर गांव अपनी जरूरत पूरी करने में खुद ही सक्षम हो ।
- सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, रोज़गार और न्याय जैसी बुनियादी जरूरतें प्राप्त हों।
- स्त्री–पुरूष, ऊंच–नीच, जाति का कोई अंतर नहीं हो।
- महिलाओं, बच्चों बुजुर्गो, असहाय और दलितों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाती हो ।

कैसे होगा सपना साकार ?

रोटी, कपड़ा, और मकान के साथ इंसान की कुछ और बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी आदि । इनके प्रबंधन में पंचायत और ग्राम विकास समिति की अहम भूमिका होती है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समितियों में एक – तिहाई सदस्य महिलाएं ही होती हैं और ऐसे में गांव की हर महिला की जवाबदारी बन जाती है कि वह अपने व गांव की बेहतरी के बारे में सोचे ।

क्या कर सकती हैं पंचायतें ?

शिक्षा : ग्राम शिक्षा समिति के काम

- स्कूल के कामकाज में मदद ।
- पढ़ाई–लिखाई पर नजर रखना।
- बच्चों के पास पुस्तकों, कापी पेंसिल की कमी दूर करना ।
- पाठशाला की मरम्मत, पानी की व्यवस्था ।
- शाला रजिस्टर व शिक्षक–छात्र उपस्थिति पर नजर ।

महिलाएं क्या कर सकती हैं ?

- अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें । लड़कियों को तो जरूर पढ़ाएं।
- कभी –कभार बच्चों को छोड़ने स्कूल भी जाएं ।
- ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में जाएं ।
- महीने में दो बार शाला रजिस्टर में अपने बच्चों की हाजिरी देखें ।
- शिक्षा समिति के फैसलों में भागीदार बनें ।
- गांव की अनपढ़ महिलाओं में पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाएं ।

स्वास्थ्य – हालांकि सरकार ने प्रदेश के हर गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक और दाई की व्यवस्था कर रखी है, मगर जरूरत के समय उनकी मौजूदगी, ग्रामीण महिलाओं को साफ–सफाई और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनाना, जरूरी दवाईयों का स्टाक बनाए रखने का इंतजाम करने में गांव की हर महिला अपना योगदान दे सकती हैं ।

कैसे – आप एक महिला होने के नाते गांव की बाकी महिलाओं को जानकारी दे सकती हैं कि –

- साफ पानी पिएं । पेयजल को ढंककर रखें ।
- ताजा खाना खाएं, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व बराबरी से शामिल हों।
- घर के आसपास गंदगी न फैलाएं ओर न ही पानी का जमाव होने दें।
- मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोएं ।

पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका –

- ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर विचार करना ।
- स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए परियोजना बनाना।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के काम की निगरानी करना।

फूलबाई की हिम्मत ने गेहूं और पैसा वापस दिलाया

✍ मोहम्मद इरशाद खान

पथरियाहाट गांव की जागरूक सरपंच फूलबाई के बेटे पर झूठा आरोप लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया ,मगर निडर फूलबाई की हिम्मत और समझदारी के आगे पुलिस के हौसले पस्त हो गए। और उन्होंने न सिर्फ रिश्वत के पैसे वापस किये ,बल्कि जब्त किया गया गेहूं भी वापस कर दिया। आइये सुनें फूलबाई की कहानी उन्हीं की जुबानी।

फूलबाई अहिरवार (48वर्ष) सागर जिला के सागर ब्लाक के ग्राम पथरियाहाट में महिला सरपंच (अनारक्षित वर्ग) के रूप में लगन, कर्मठता, निर्भयता, एवं सजगता के साथ ग्राम विकास एंव सामाजिक न्याय के कार्यो में सकिय हैं । घटना के बारे में श्रीमती फूलबाई ने बताया कि यह 25 नवम्बर 2003 की बात है, मुझे आंगनवाडी केन्द्र पर दलिया वितरण करना था इसलिये अपने बेटे राकेश को दलिया पिसवाने के लिये पंचायत में आए अनाज के साथ चक्की पर भेजा। राकेश के अनुसार वह चक्की पर गेहूं तुलवा रहा (दलिया हेतु) था।

अचानक वहां पर सागर, मोतीनगर थाने के पुलिस कर्मी थाना प्रभारी सहित पहुंचे और राकेश से कहा 'तुम पंचायत का गेहूं बेच रहे हो। चलो तुम्हे थाने में अभी बंद कराते हैं।' राकेश ने कहा 'कि मैं दलिया बनवाने के लिये यहां गेहूं लाया हूं, क्योंकि गांव में लाइट नही है।' इस पर पुलिस वालों ने डराते हुए 3000 रूपये की मांग की। तब पुलिस के डर से राकेश ने परिचितों –साथियों से मांग कर 2000 रूपये दिये। पुलिस वाले पैसे और गेहूं दोनों ले गए ।

इस घटना के बारे में राकेश ने घर आकर मुझे बताया। तब 25 नवम्बर को ही मैं, पति व बेटे के साथ सीधे एस. पी सागर के पास पहुंची और उन्हें पूरी घटना बताई। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मोतीनगर थानेदार (टी.आई.) के विरूद्ध रिपोर्ट (शिकायत) दर्ज की।

इसके बाद एस.पी साहब ने संबंधित पुलिस कर्मी को तलब किया । एक दिन बाद 27 जून को (ईद के दूसरे दिन) टी. आई एवं अन्य पुलिस कर्मी मेरे घर पर पहुंचे, कहने लगे कि 'तुम हमें क्यो परेशान कर रही हो ?' मैंने जवाब दिया कि परेशान तो आप खुद हो रहे हो, मैंने क्या किया है ? पुलिस ने दबाव बनाते हुए कहा ' तुमने हमारे खिलाफ एस. पी. को आवेदन किया है ना, तो अब तुम्हें भी हमारे साथ अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब थाने चलो, पूछताछ करनी हैं।' मैंने (फूलबाई) कहा 'इसमें क्या बात है चलो थाने। मैं पेशी–वेशी से नहीं डरती। फिर मैं राकेश और कुन्दन को साथ लेकर मोती नगर थाने पहुंची । पुलिस भी जानती थी कि मैं कैसी (जागरूक) सरपंच हूं और श्रीमती सोनिया गांधी से भी मिल चुकी हूं । मैं दलित समानता व अधिकार अभियान से भी जुड़ी हूं यह भी उन्हें पता था। तब थाने में पुलिस ने हम तीनों के सामूहिक एवं पृथक–पृथक बयान लिये। राकेश ने भी उन पुलिसकर्मियों को पहचान लिया, जिन्होंने गेहूं और 2000 रूपये लिया था। हालांकि थानेदार ने बयान बदलने के लिये मुझ पर बहुत दबाव–बनाया, परन्तु मैंने अपना बयान नहीं बदला और वह घर वापस आ गए। अगले दिन पुलिस कर्मी उनके घर पर आए और अपनी नौकरी बचाने की प्रार्थना करते हुए फूलबाई से क्षमा मांगी। साथ ही 2000 रूपये एवं गेहूं भी वापस किया और प्रकरण खारिज कर दिया गया। बाद में संबंधित टी.आई का मोतीनगर थाने में स्थानान्तरण भी कर दिया गया ।

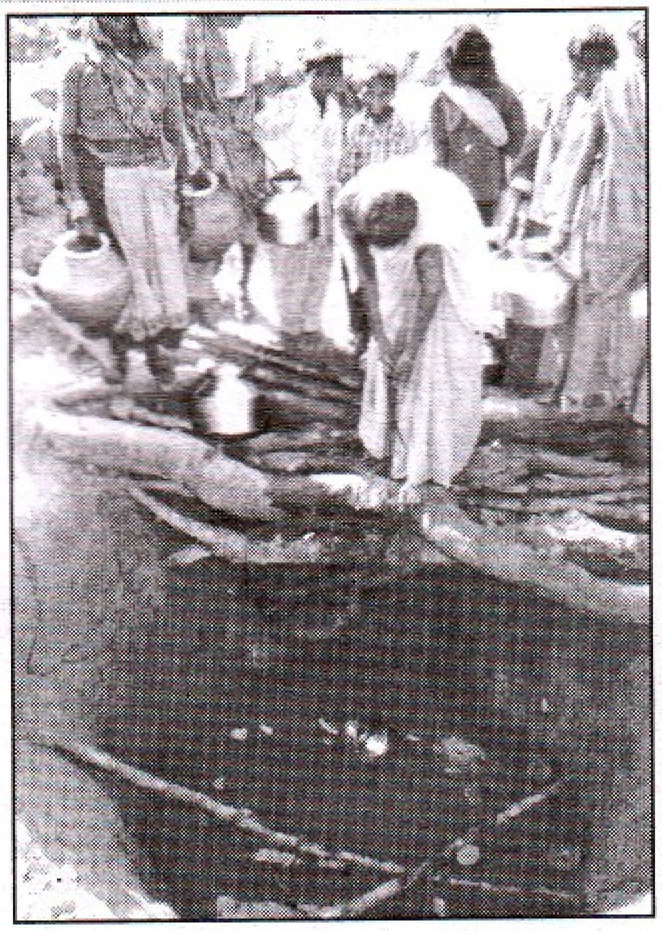

स्पंदन समाज सेवा समिति

स्पंदन का सपना है एक''विमुक्त दलित''। संस्था ने मध्यप्रदेश में धार जिले के डही ब्लाक में सीमान्त एवं उपक्षित दलित समुदाय के मध्य कार्य प्रारम्भ किया। इस तथ्य का एहसास करते हुये कि दलित अज्ञान, अंसगठित एवं सामाजिक रूप से उपक्षित है तथा जीविका के साधनो पर तेजी से अपना नियंत्रण खो रहे है, एक बोझ उपजा और यह ध्येय स्थापित हुआ कि''दलितों को इस रूप में सशक्त किया जाये कि उनके संवैधानिक एवं मानव अधिकार सुनिश्चित हो और वे एक आत्म सम्मान का जीवन बिताने हेतु स्वावलम्बी बने।''

महिला प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं ने उनकी समस्याओं और मुद्दों के प्रति समझ प्रदान की तथा एक मुद्दे आधारित संघर्ष के लिये मजबूत गठजोड़ निर्मित किया। यह मद्दा उभरा कि दलित महिलाओं को पंचायत द्वारा कार्य एवं नियत न्यूनतम मजदूरी देने में उपेक्षित किया जाता है। उनमें से अधिकांश भूमिहीन है अथवा बहुत कम भूमि है और मजदूरी उनकी जीविका का एक मात्र जरिया है। भोजन की अत्यन्त कमी की अवस्था में वे पलायन करने को मजबूर होते है, या अनेकों कुपोषण के शिकार। इन सब की सतह में जड़ जाति प्रथा है जो उन्हें सीमान्त रखती है और संगठित नही होने देती या शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात तक सोचने नही देती ।

इस पृष्ठभूमि ने करीब दो वर्ष पूर्व काम और मजदूरी के अधिकार के संघर्ष की शुरूआत की प्रेरणा प्रदान की। महिलायें प्रेरित हुयी शिकवे काम और न्यूनतम मजदूरी की मांग को उठाये। अन्ततः अपनी शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाकर और इस तथ्य को स्थापित कर कि वे शोषित और उपेक्षित, महिलाओं ने जीत हासिल की। वर्तमान में संघर्ष ने अपना दायरा व्यापक किया है और दलित जनसंगठन प्रयासरत हैं कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच दलितों तक बढ़े और पंचायत में उनकी भूमिका स्थापित हो।

दलित सशक्तिकरण को परस्पर संबधी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के रूप मे निरूपित किया जा रहा है। स्पंदन स्वयं को एक प्रेरक संस्था के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य है कि मुद्दे आधारित विकास की प्रकिया को गति प्रदान करना जिसका सूक्ष्म एवं वृहद स्तर पर एक तार्किक सन्तुलन हो। उदाहरण स्वरूप हम सूक्ष्म स्तर पर जीविका के मुद्दो पर कार्य करना चाहते है और वृहद स्तर पर नीतिगत स्तर पर पैरवी। अब तक के कार्यानुभव ने समझ विकसित की है कि दलितों तक मात्र सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच पर्याप्त नही है, परन्तु इसके व्यापक आयाम है। इसके लिये सार्थक आर्थिक विकास के पहल तथा विवेकीकृत सामाजिक पहल की जरूरत होगी ताकि दलित सशक्तिकरण के प्रमुख मद्दे का समाधान निकल सके। हाल ही में किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि दलित निन्तर जमीन और जीविका के साधनों पर नियन्त्रण खो रहे है। दहेज जैसी सामाजिक परम्परा के कारण कर्ज के जाल में फस कर गरीबी को बढ़ा रहे है और जनजातियों की तुलना में सरक. ारी कल्याणकारी योजनाओं में उपेक्षित हो रहें हैं। एक पैरवी की जरूरत है, जो दलितों के लिये ऐसी नीति निर्धारित करे कि उन्हें न्याय संगत मानव दिवस काम मिले और न्यूनतम मजदूरी की दर में संशोधन हों।

कुछ भावी प्रस्तावित पहल निम्न प्रकार हैः–

- दलितों की पंचायत एवं अन्य स्वशासी निकायो में सक्रिय भागीदारी।
- उभरते हुये मुद्दो पर दलित जन संगठन को और मजबूत बनाना।
- क्षेत्रिय स्तर पर दलित महिला नेतृत्व एवं एकता को और सक्रिय बनाना।
- जीविका के मुद्दे पर और सार्थक पहल।
- मध्यप्रदेश में रोजगार गारन्टी कानून बनाने के लिये मांग की पैरवी को और सुदृढ़ करना।
- दलितों के बीच खाध सुरक्षा पर विश्वसनीय आकड़े संकलित करना।
- दलितो, महिलाओं पर अत्याचार/हिंसा का प्रबल विरोध करना।
- युवा विकास को बढ़ावा देना।
- सतत जागरूकता प्रयास के तहत डॉ. अम्बेडकर के विचारों और संवैधानिक एवं मानव अधिकारों को आधार बनाना ।

क्षेत्र में काफी तादाद में दलित सामाजिक, आर्थिक कारणों से बालश्रम में लिप्त हों रहे हैं और शिक्षा से वंचित हो रहे है। इन बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिये सधन अभियान चलाना चाहती है।

स्पंदन समाज सेवा समिति

ग्र.पो.डही (जिला धार) म.प्र 454365

हमारे बारे में....

संगिनी महिलाओं का एक संदर्भ समूह है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के साथ लैंगिकता के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव व हिंसा को समाप्त करना है। संगिनी महिला मुद्दों पर कार्य करने के लिये कटिबद्ध है, ख़ास तौर पर एक ऐसे समाज की स्थापना के लिये, जहां समानता आधारित सामाजिक व्यवस्था हो। इसके लिये हम इस संदर्भ केंन्द्र के द्वारा महिला मुद्दों पर शोध अध्ययन, दृष्टिकोण निर्माण, प्रकाशन व अभियान आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं के मुद्दों को केन्द्र में लाते हुए, ऐसे सवाल उठाए जाएं, जिनका जवाब हमारे ही इर्द गिर्द फैला हुआ है। आगामी समय में संगिनी महिला मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं, संगठनों, व स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे लोगों के लिये एक संदर्भ केंद्र बन सके ।

संगिनी के कार्यों और उद्देश्यों में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि संगिनी महिला हिंसा को जड़ से समाप्त करने के लिये कटिबद्ध है। भविष्य की रणनीति में भी संगिनी निरंतर अपने लक्ष्यपूर्ति के लिये कार्य योजना में संलग्न है। जिसके अंतर्गत महिला हिंसा व जेंडर के मुद्दों पर मध्यप्रदेश के स्थानीय समूहों के कार्यकर्ताओं को जेंडर व महिला हिंसा के प्रत्येक हिस्से पर काम करने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने समूह में साथियों के साथ मिलकर अपने अपने क्षेत्र में महिला हिंसा के खिलाफ माहौल बना सकें तथा समुदाय के संकीर्ण नज़रिये में परिवर्तन ला सकें।

संगिनी महिला हिंसा के सभी पक्षों पर सामग्री का निर्माण करेगी तथा ज्वलंत मुद्दों पर अध्ययन व विश्लेषणात्मक विवेचन का कार्य भी कर रही है, जिसके द्वारा सभी समूह एक मंच पर आकर अपनी बात कह सकें और एक साथ मिलकर महिला हिंसा की जड़ से समाप्ति के लिये कार्य कर सकें।

संगिनी समूह